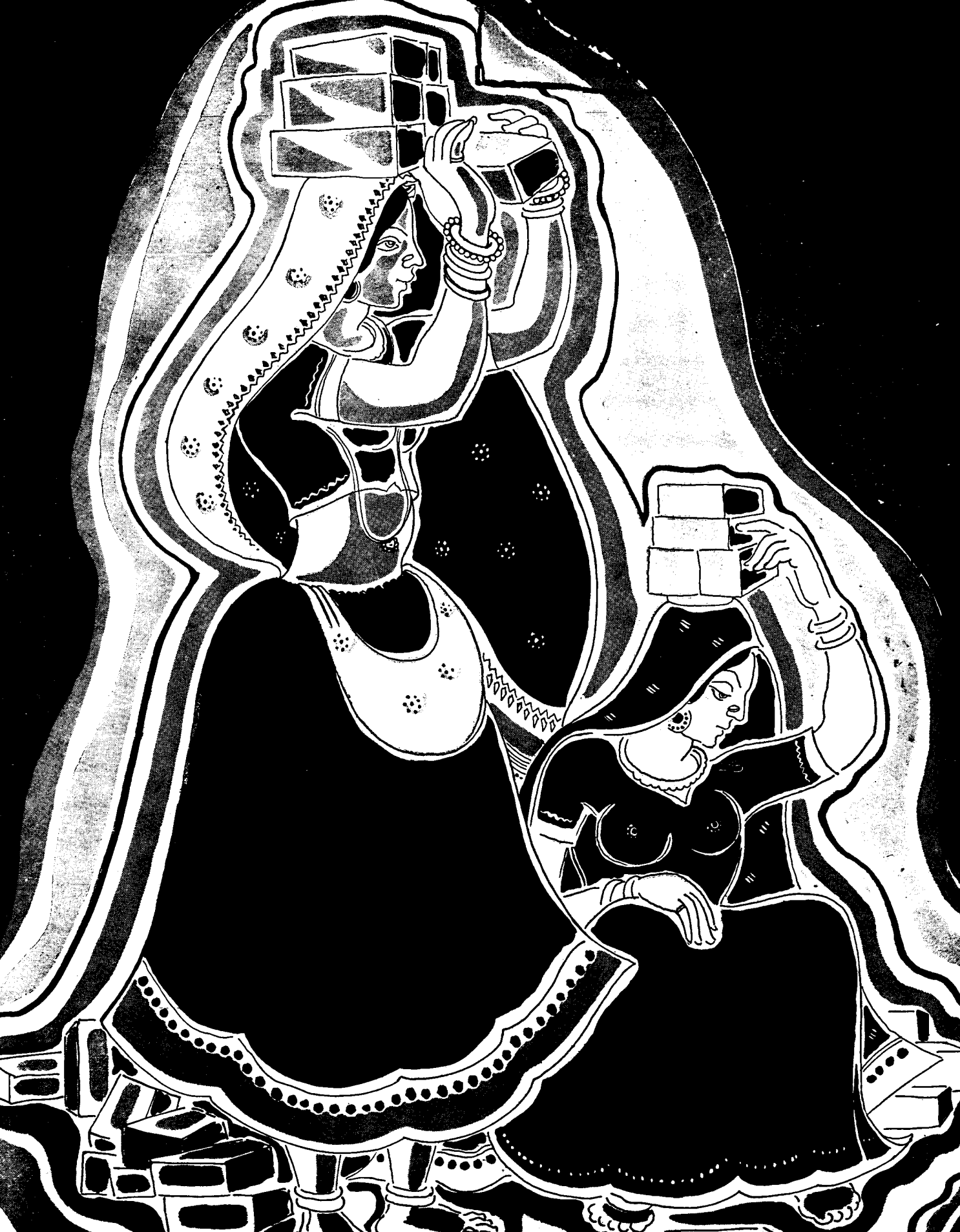

ईंटों की पांत !

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र

वर्ष १] सितम्बर १९५६ [अंक ११

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
राष्ट्रपति का सन्देश	...	२
विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम	एम० एस० रन्धावा	३
हमारी दूसरी योजना	जे० सी० घोष	६
सहकारिता की सफलता निश्चित है	ए० डी० गोरवाला	८
बनो आज श्रमदानी ! [कविता]	व्यंकटराव यादव	१०
रमणीक मिनिकाय द्वीप	...	१२
हमारे कारीगर	चित्रावली	१५-१८
तीन बुनियादी बातें	वी० टी० कृष्णमाचारी	१९
स्त्रियों और बच्चों के लिए कल्याण-योजनाएँ	...	२१
लोकोक्तियों में वर्षा-वर्णन	अनवर आगेवान	२४
समाज शिक्षा क्यों और कैसे ?	धर्मपाल चौधरी	२६
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *मनोहर जुनेजा*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

राष्ट्रपति का सन्देश

भारतीय स्वतन्त्रता की नौवीं वर्षगाँठ के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त देशवासियों का अभिनन्दन करता हूँ और उन्हें अपनी शुभ-कामनाएँ भेंट करता हूँ। आज के दिन इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कर सकता कि आपको उन महान कार्यों की याद दिलाऊँ जो हमें अभी करने हैं। अपनी प्रिय मातृभूमि से दरिद्रता, बीमारी और अज्ञान के विनाश के लिए हम राष्ट्रीय साधनों के विकास के हेतु जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, वे निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक हैं, किन्तु राष्ट्रीय एकता की भावना को जाग्रत करना और उसे प्रोत्साहन देना भी एक ऐसा कार्य है जो कम आवश्यक नहीं और जिसकी ओर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के बिना भौतिक सम्पन्नता के लिए हमारे प्रयास संकट में ही नहीं पड़ जाएँगे, बल्कि एकदम निरर्थक हो जाएँगे।

यह हर्ष का विषय है कि पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता द्वारा दूसरी योजना के लिए, जिसे अभी कार्यरूप दिया जाएगा, आशा और उत्साह का वातावरण पैदा हो गया है। इस समय जब कि देश के सभी प्रकार के भौतिक साधनों को उन्नत करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि समाज में चाहे उसका कोई भी स्थान हो, वह इस रचनात्मक कार्य में स्वेच्छा से सहयोग दे। इस सम्बन्ध में मैं छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले कुटीर उद्योगों के महत्व पर ज़ोर देना चाहूँगा। विशाल उद्योगों और बड़े कारखानों की स्थापना का हमारा कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा है, किन्तु इन घरेलू उद्योगों का भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देश के विभिन्न भागों में चालू की गई कुछ जलविद्युत योजनाओं से बिजली प्राप्त होने लग गई है और इसके द्वारा हम छोटे उद्योगों को उन्नत कर सकते हैं और इस प्रकार कम से कम कुछ सीमा तक बेरोज़गारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मेरी यही प्रार्थना है कि इस देश में कल्याण-राज्य स्थापित करने के हमारे प्रयत्न यथाशीघ्र सफल हों। एक बार फिर मैं आगामी वर्ष में अपने समस्त देशवासियों तथा प्रवासी भारतीयों के सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ।

[भारत की स्वतन्त्रता की नौवीं
वर्षगाँठ पर दिए गए सन्देश से]

हिमायत सागर, हैदराबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र में महिलाएँ पौधों को पानी दे रही हैं

विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम

एम० एस० रन्धावा

भारत सरकार की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस भरपूर ग्राम्य विकास के उद्देश्य को सामने रखा गया है, उसकी रीढ़ है ग्राम सेवक । वह विकास कार्यक्रम संगठनों और गामवासियों के बीच की आवश्यक कड़ी है। उसे सारे विस्तार कार्यक्रम का केन्द्र-बिन्दु कहा जा सकता है । इन ग्राम कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी खाद्य और कृषि मन्त्रालय के विस्तार और प्रशिक्षण निदेशालय पर है । यह काम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का है । क्योंकि ग्राम सेवक कहाँ तक अपने काम में सफल होंगे, इस बात पर निर्भर है कि उन्हें कितना अच्छा प्रशिक्षण मिला है ।

विस्तार और प्रशिक्षण निदेशालय की देखरेख में चल रही प्रशिक्षण संस्थाओं का इतिहास किसी से छिपा नहीं है । सन १९५२ में पाँच विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए थे । उसी वर्ष सामुदायिक विकास-योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत १,२०० खण्डों में काम शुरू करने की योजना थी, जिनके लिए खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर काम करने के लिए १२,००० प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता थी । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से २९ अन्य विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य अपने हाथों में लिया ।

इस समय देश में ४३ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं । इनके अतिरिक्त ५४ बेसिक कृषि स्कूल हैं जिनमें विस्तार-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में बड़ी सावधानी से

चुने हुए नवयुवकों को ग्रामवासियों की हर प्रकार की सेवा करने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण ग्राम-जीवन के हर पहलू जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामोद्योग सहकारिता, ग्राम्य संस्थाओं के बारे में होता है।

इसके अतिरिक्त गृह-विज्ञान विस्तार प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। २ अक्तूबर १९५३ को जब देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत हुई थी, तब गाँव की स्त्रियों और बच्चों के लिए किसी विशेष कार्यक्रम को स्थान नहीं दिया गया था। इसका कारण यह था कि गृह-विज्ञान कार्यक्रम आरम्भ करने में देश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षित महिला कार्यकर्त्ताओं का नितान्त अभाव था। इसके अतिरिक्त गाँववाले पुराने विचारों के हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक रहन-सहन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। गाँववालों तक पहुँचना भी आसान नहीं है। ग्रामवासियों की दरिद्रता और निरक्षरता भी काफी रुकावट डालती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि गाँव में काम करनेवाली महिलाओं को इतनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि काम करना लगभग असम्भव होता था।

परन्तु जल्दी ही यह बात महसूस की जाने लगी कि जब तक गाँव की स्त्रियाँ विकास के काम में हाथ नहीं बटातीं, विस्तार कार्यक्रम में अधिक सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। १९५२-५३ के वर्ष में इन अस्पष्ट धारणाओं ने निश्चित रूप ले लिया। कई राज्यों के विकास आयुक्तों और प्रोजैक्ट अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्राम सुधार को कई दिशाओं में किए गए उनके प्रयास इस लिए असफल हो रहे थे क्योंकि स्त्रियाँ उनके उद्देश्यों को समझ नहीं पाती थीं। इसलिए गाँव की स्त्रियों को गृह-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य के लिए ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय गृह-विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ५८,००० ग्राम सेवकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १८ नए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और ४१ नए बेसिक कृषि स्कूल खोलने होंगे। गृह-विज्ञान विभागों में भी वृद्धि करनी होगी।

जब विस्तार प्रशिक्षण आरम्भ किया गया था तो इस सम्बन्ध में तरह-तरह की धारणाएँ थीं कि 'विस्तार' शब्द का तात्पर्य क्या है? प्रशासकगण और क्षेत्रों में कार्य करने वाले तक इस सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं बना पाए थे। लोकप्रिय धारणा यही थी कि 'कृषि विस्तार' का अर्थ बीजों, उर्वरकों, पम्पों और हलों की बिक्री तथा सुधरे हुए तरीकों से खेती करने के सम्बन्ध में भाषण और निर्देशन आदि देना है। इस लिए कुछ लोगों का कथन था कि विस्तार कार्य भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वे सब कार्य तो भारत में काफी समय से हो रहे थे।

मोटे तौर पर अब 'विस्तार' शब्द का अर्थ ग्राम्य क्षेत्रों में किया जानेवाला हर सामाजिक विकास कार्य समझा जाता है। अगर मान लिया जाए कि 'विस्तार कार्य' जिस ढंग से चल रहा था, वह लोगों को बदलने के लिए पर्याप्त था, तो यह बात समझ में नहीं आती कि अब तक गाँवों में प्रगति नाम-मात्र क्यों हुई है। वहाँ का प्रति एकड़ उत्पादन आज भी उतना ही कम है, जितना पहले हुआ करता था।

इसलिए आवश्यक है कि हम 'विस्तार' शब्द के वास्तविक महत्व को समझें। विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत सन १९१२ में अमेरीका में हुई थी और इसका उद्देश्य उस समय लोगों को स्कूलों के बाहर शिक्षा देना था। अमेरिका उस समय बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और दुनिया के बड़े देशों में से एक बनने की कोशिश में था। तब वहाँ यह महसूस किया गया कि उत्पादन प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप आय में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा का भी प्रसार होना चाहिए तभी लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो सकेगा।

यह कम से कम समय में कैसे सम्भव था? देश के हर गाँव और कस्बे में व्यावसायिक और मानव-कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोलना सम्भव नहीं था। अगर स्कूल खोलना सम्भव भी होता, तो क्या वे स्कूल प्रौढ़ों की शिक्षा का भी प्रबन्ध कर पाते? इसके अतिरिक्त क्या स्कूल के कमरों में दिए गए भाषण और थ्योरिटी ट्रेनिंग से कम से कम समय में विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्भव थी? इन प्रश्नों का उत्तर 'न' में है। इस समस्या का हल शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली था जिसमें स्कूल से बाहर, प्रौढ़ों और नवयुवकों को शिक्षा द्वारा अपने-अपने व्यवसायों में बेहतर तरीकों को अपनाने की प्रेरणा दी जाए और उनमें ज्ञान और श्रम द्वारा अपने जीवन में सुधार करने की इच्छा पैदा की जाए।

'विस्तार' मुख्यतः प्रौढ़ों और नवयुवकों दोनों को स्कूलों की चारदीवारी से बाहर शिक्षा देने की एक प्रणाली है। यह

एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों को अपने दैनिक जीवन में, कृषि में, घर में और सामाजिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करके लाभ उठाने की शिक्षा दी जाती है। विस्तार अध्यापक अपने शिक्षार्थी को ऐसा अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देता है जो बगैर स्कूल के कमरे के पढ़ा सके। प्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं अपने प्रभाव से या ग्राम नेताओं और स्थानीय संस्थाओं की सहायता से गाँववालों को अपने जीवन में सुधार करने को तैयार करता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके सभाओं और प्रदर्शनों आदि की सहायता से लोगों को बगैर किसी स्कूल कक्ष या अन्य ऐसी संस्था के, अपने घरों और खेतों में अधिक वैज्ञानिक तरीके अपनाने की शिक्षा और प्रेरणा दी जाती है। यह शिक्षा को एक निरन्तर प्रक्रिया है—शिक्षा का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्कूल कक्ष के भाषणों के बिना शिक्षा दी जाती है।

इसलिए विस्तार प्रशिक्षण बड़ी भारी ज़िम्मेदारी का काम है। जब नए-नए ग्राम सेवक शिक्षार्थी प्रशिक्षण केन्द्रों में आते हैं, तो उन विभिन्न विषयों में उनको नाम-मात्र प्रशिक्षण मिला होता है, जिनकी जानकारी गाँववालों की समस्याएँ समझने और उनको हल करने के लिए बहुत आवश्यक है। विस्तार में प्रयोग में आनेवाले तरीकों के सम्बन्ध में तो उनका ज्ञान और अनुभव और भी सीमित होता है—इन्हीं को सहायता से आगे चलकर उन्हें गाँववालों में विकास कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी होती है।

मोटे तौर पर यह कहना ठीक है कि हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों ने इस नए क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के कार्य की शुरूआत बड़ी अच्छी की है। काम आरम्भ करते समय जो जोश था वह सब खत्म हो चुका है और समय बीतने के साथ-साथ हमें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो निरन्तर और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।

इस अवस्था में हमारी कुछ ऐसी आशाएँ झूठी साबित हुई हैं, जिनको बगैर सोचे-समझे बना लिया था। वे आलोचक जो आरम्भ में ही निराशावादी थे, कहते हैं—"हमने तो पहले ही आप से कहा था।" वे लोग कठिन परिश्रम की प्रशंसा क्यों करने लगे जिन्होंने इस परिश्रम में भाग ही नहीं लिया? हमें इस परिश्रम के फल की प्रतीक्षा करनी होगी। तभी हमारा अपनी विस्तार प्रशिक्षण संस्थाओं की सफलताओं अथवा असफलताओं के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करना उचित होगा।

आज दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ काल में विस्तार प्रशिक्षण संस्थाएँ देश के हर क्षेत्र में फैली हुई हैं और अब वे प्रयोग की अवस्था से निकल कर हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न और स्वीकृत अंग बनती जा रही हैं। हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इन संस्थाओं ने बड़ा योग दिया है। उनकी सफलताओं के जीते-जागते प्रतीक हैं हज़ारों ग्राम सेवक, जिन्हें वहाँ प्रशिक्षण मिला है।

हाल ही में शिमला में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिंसिपलों और बेसिक कृषि स्कूलों के सुपरिन्टेन्डेंटों का तीसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में विस्तार प्रशिक्षण से सम्बद्ध सभी समस्याओं पर विचार किया गया। इस सम्मेलन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली साज-सज्जा और अन्य आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव दिए। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि इनके लागू हो जाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से कहीं अधिक प्रभावकारी हो जाएगा।

विकास-योजना अधिकारी एक खुली नाली ठीक कर रहे हैं।

हमारी दूसरी योजना

जे० सी० घोष

दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निजी लाभ से बढ़कर समाज कल्याण है और यह तभी पूरा हो सकता है जब आम जरूरत की चीजें सहकारी उद्योगों में बनें और उत्पादन ऐसे ढंग से हो जिससे बेकारी दूर हो।

दूसरी योजना में सिंचाई के क्षेत्र में ३० प्रतिशत वृद्धि करने की योजना है। ८ करोड़ ७० लाख एकड़ सिंचाई वाली जमीन में और २७ करोड़ एकड़ ऐसी जमीन में, जहाँ खेती वर्षा पर निर्भर है, जो फसलें पैदा होंगी उनसे २५ प्रति शत उपज बढ़ेगी और देश की बढ़ती हुई जरूरत पूरी हो सकेगी। दूसरी योजना में खेती की बजाय उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाएगा। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था में उद्योगों को बढ़ावा देकर देश को समृद्ध बनाना है। दूसरी योजना की अवधि में भारी उद्योगों का उत्पादन ३०० प्रति शत बढ़ाना है और समस्त औद्योगिक उत्पादन में भी ५८ प्रति शत वृद्धि करनी है।

हमारे देश में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं। इस पर भी देश गरीब है। यदि यह विडम्बना दूर न हुई तो राजनीतिक स्वतन्त्रता के कुछ अर्थ नहीं होंगे। इस स्थिति के सुधार का यही उपाय है कि बड़ी बुद्धिमत्ता से हर चीज की योजना बनाई जाए। पहली पंचवर्षीय योजना इसी तरह का पहला प्रयास था। हमें हर्ष है कि अपने सीमित उद्देश्यों में यह प्रयत्न सफल रहा है। देश की राष्ट्रीय आय १८ प्रति शत बढ़ी है और कृषि उपज २० प्रति शत तथा औद्योगिक उत्पादन २६ प्रति शत। देश में चारों ओर उद्योग-धन्धे फल-फूल रहे हैं। किन्हीं-किन्हीं कारखानों में तो दो और तीन पालियाँ तक काम करती हैं। देश की परिवहन व्यवस्था भी शक्ति भर काम कर रही है और जितनी बिजली बनती है सबकी सब काम आ जाती है। यद्यपि शिल्पिक योग्यता रखने वालों की संख्या प्रतिवर्ष पहले से दुगनी होती है, तो भी उनकी संख्या से अधिक और अच्छे वेतन की नौकरियाँ आज उपलब्ध हैं।

प्रबन्ध और प्रशासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार भी बराबर प्रयत्नशील है। कम्पनियों के मैनेजरों, लेखापालों और अन्य प्रबन्धकों का एक संगठन बनाया जा रहा है और इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। क्या बड़े-बड़े उद्योग और क्या गाँवों की राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास-योजनाएँ, आयोजन की सब जगह आवश्यकता होती है और सरकारी कर्मचारियों और जनता में निकट सहयोग सर्वत्र अनिवार्य है।

इसी आशावाद से दूसरी पंचवर्षीय योजना का बीड़ा उठाया गया है।

देश में योजना के कारण परिवहन में काफी वृद्धि करनी होगी। कच्चे माल, कोयले, अनाज, कपड़े और अन्य उपभोग्य सामग्री तथा मशीनों को एक से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की आवश्यकता होगी। विदेशों से मशीनें आदि मंगाकर देश में यथा स्थान पहुँचाने और विदेशों को तरह-तरह के माल का निर्यात करने के लिए उसे बन्दरगाहों तक पहुँचाने का काम बहुत बढ़ जाएगा। अनुमान है कि रेलों को ६ करोड़ १० लाख टन माल अधिक ढोना पड़ेगा। इसके अलावा सड़कों, नदियों और जहाजों से भी बहुत सा माल ढोया जाएगा। रेलवे मंत्री को विश्वास है कि १,१५० करोड़ रुपए के खर्च से रेलों का इतना विकास हो सकेगा कि नए धन्धों और व्यापार के माल की ढुलाई में कोई बाधा नहीं आएगी। इतने बड़े काम में निस्सन्देह कर्मचारियों के पूरे सहयोग और उत्साह की अपेक्षा है।

दूसरी योजना पर कुल ४,८०० करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से १,००० करोड़ रुपया अतिरिक्त करों से वसूल होगा, १,२०० करोड़ रुपया घाटे की वित्त व्यवस्था से और ८०० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त होगा। बाकी धन जनता को खुद बचाकर देना चाहिए। भविष्य के सुख के लिए आज हमें थोड़ी तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी। हमारे प्रधान मंत्री भी यही कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इस पीढ़ी को अपने श्रम का कोई फल नहीं मिलेगा। यदि दूसरी योजना सफल हुई तो राष्ट्रीय आय में २,६०० करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

आखिर दौलत लोगों की मेहनत और साधनों का ही नाम है। भारत में इन दोनों चीजों की कमी नहीं। दुर्भाग्य से मेहनत करनेवाले हाथ और साधन अभी अलग-अलग हैं। ऐसे कामों में, जिनसे उत्पादन बढ़े हमारा ६,२०० करोड़ रुपया लगाने का इरादा है। इसमें से २,४०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस लिए हम लोगों को अधिक से अधिक धन बचाकर विकास के कामों में लगाना होगा।

देश की उन्नति की योजना बनानेवालों के सामने सबसे

कठिन समस्या है देश के ५ लाख गाँवों में रहनेवाले उन ३० करोड़ नर-नारियों को अच्छे, रोजगार देने की, जो इस समय ज्यों-त्यों अपना पेट भर पाते हैं। यदि हमारे पास, अपरिमित धन होता तो चाहे जितने उद्योग-धन्धे खोलकर सबको मनचाहा काम दे सकते थे, पर हमारे पास सबसे बड़ी कमी धन की ही है। इसलिए हमें ऐसे काम-धन्धे शुरू करने होंगे जिनमें मशीनों की जगह अधिक से अधिक काम मज़दूर करें और ऐसा सामान तैयार करना होगा जो उन्हीं के काम आए। सरकार का ग्राम तथा छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए ८,०० करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा है।

प्रतिदिन देश में १२,००० खानेवाले बढ़ जाते हैं यानी नए बच्चे पैदा होते हैं और ५ हज़ार नए लोग काम की तलाश के लिए मैदान में आते हैं। दूसरी योजना में जो भागीरथ प्रयत्न होंगे, उनके फलस्वरूप भी केवल ८० प्रति शत नए व्यक्तियों को ही काम मिल सकेगा। पहले से जो ५० लाख बेकार चले आ रहें हैं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं होगा। सुख-समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि देश की आबादी इतनी न बढ़े जितनी आजकल बढ़ रही है। आबादी की वृद्धि रोकने यानी परिवार नियोजन के लिए भी दूसरी योजना में ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

कल्याणकारी राज्य में मनुष्य के लिए जन्म से मृत्यु पर्यन्त स्वस्थ जीवन और मानसिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओं का होना ज़रूरी है। यहाँ भी हमें बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक सेवाओं के बिना समाज का एक विशेष अभाव पूरा नहीं होता और दृढ़ आर्थिक व्यवस्था के बिना सामाजिक सेवाएँ खड़ी नहीं की जा सकतीं। इसलिए मध्य मार्ग निकालना बहुत ज़रूरी है। इन सेवाओं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान बनाने और शरणार्थियों के लिए योजना में ९५० करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था है। पहली योजना में इन कामों के लिए ५३० करोड़ रुपया रखा गया था। आशा है १९६१ तक ६ से ११ वर्ष के ८२ प्रतिशत लड़कों को शिक्षा मिलने लगेगी। माध्यमिक शिक्षा तथा विश्व-विद्यालय शिक्षा पर १०८ करोड़ रुपया खर्च होगा। शिल्पिक शिक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा तथा प्राकृतिक साधनों के उपयोग को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वास्थ्य की ओर भी काफी ध्यान दिया जाएगा। पीने के पानी और सफाई के लिए ९१ करोड़ रुपया और मले-रिया, फीलपाँव, तपेदिक और कोढ़ आदि रोगों की रोकथाम पर ५८ करोड़ रुपया खर्च होगा। दावा किया जाता है कि बीमारियों के बचाव के उपायों का सुपरिणाम सामने आने लगा है और पश्चिम बंगाल जैसे खराब जलवायु वाले राज्य में भी इन रोगों से होने वाली मृत्यु संख्या इतनी कम हो गई है जितनी यूरोप के बहुत से देशों में है।

सामुदायिक विकास के काम एक प्रकार की चुनौती हैं कि देखें सरकार की मदद के बिना लोग क्या-क्या कर सकते हैं। निस्सन्देह सामुदायिक विकास-योजनाओं में जो काम हुआ है उसने बहुतों की आँखें खोल दी हैं। इन योजनाओं से गाँवों में बेहतर ज़िंदगी के लिए उत्साह और लगन पैदा हो गई है और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी आत्म-विश्वास के बल पर हमारा राष्ट्र सुख-समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

●

हमने अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है किन्तु हमें तुरन्त ही अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए... जिस प्रकार जीवन का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है उसी प्रकार योजना और विकास भी, जो किसी राष्ट्र के जीवन प्रवाह का नियमन करते हैं, एक निरन्तर प्रक्रिया है। इस प्रकार हमने जो यात्रा आरम्भ की है, उसमें कोई विराम स्थल नहीं है।

—प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू

सहकारिता की सफलता निश्चित है

ए० डी० गोरवाला

कुछ बातों को छोड़ कर, कृषि के लिए ऋण-व्यवस्था का होना अनिवार्य है। अन्य व्यवसायों के विपरीत, किसान की सारी आय फसल के समय एक मुश्त होती है। उसका खर्चा साल-भर चलता रहता है--मौसम की जरूरत को देखते हुए कभी कम और कभी ज्यादा।

बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनकी आय एक साल की फसल से इतनी पर्याप्त होती है जिसमें उनका चालू वर्ष का खर्चा और अगली फसल का खर्चा आराम से निकल सके। अधिकतर किसानों को ऋण लेना ही पड़ता है।

इस बात को काफी पहले ही महसूस कर लिया गया था कि महाजन से ऋण लेने के फलस्वरूप किसानों में दरिद्रता फैलती है। कृषि वित्त में महाजनों का काफी बड़ा योग रहा है। इसलिए इस शताब्दि के आरम्भ से महाजन का स्थान ऐसी संस्था को देने की कोशिश की जा रही है जो उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा भी कर दे और साथ ही साथ किसानों पर ऋण का बोझा भी पहले से हल्का होता रहे। यह संस्था है सहकारी समिति, जिसको कुछ किसान मिलकर बनाते हैं और जिसमें हरेक सदस्य किसान कुछ साधन जुटाता है। इसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर किसान महाजनों के पास जाने की बजाय समिति के फण्ड से ऋण लेते हैं।

किसान स्वयं दरिद्र और कमजोर थे, इसलिए उनके संगठन (समिति) का भी कमजोर होना स्वाभाविक था, विशेषत: ऐसी जगहों पर जहाँ इन संगठनों को खुलेआम अथवा लुके-छिपे महाजनों का बिरोध सहना पड़ता था। इस लिए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है। 'असफल' शब्द का प्रयोग हमारे किसानों की ऋण की कुल आवश्यकताओं की तुलना में प्राप्त की गई सफलता को देखकर किया गया है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से न देखें तो अब तक की प्रगति के आँकड़े बुरे नहीं हैं। इस समय १,२५,००० ग्राम समितियाँ ह जिनके ५० लाख से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों ने ३० करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण के रूप में और १० करोड़ रुपए मध्यम कालीन ऋण के रूप में दिए हुए हैं।

ग्राम समितियों के ऊपर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नम्बर आता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या ५०० है और समितियाँ इनसे रुपया उधार लेती हैं। सबसे ऊपर २४ राज्य सहकारी बैंक हैं जो इन केन्द्रीय बैंकों को ऋण देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये बैंक, रिज़र्व बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। सन् १९५५-५६ में रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को लगभग १८ करोड़ रुपए ऋण में दिए। कुछ भूमि बन्धक बैंक भी हैं जिन्होंने भूमि की ज़मानत रख के लगभग ३ करोड़ रुपए दीर्घकालीन ऋण में दिए हुए हैं।

इस सब के बावजूद ग्राम ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुँचा गया है कि किसान कुल जितना ऋण लेते हैं उसमें से केवल ३ प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा दिया जाता है। इस ३ प्रतिशत में से भी अधिकतर भाग बड़े-बड़े किसानों के हिस्से में आता है। ७० प्रतिशत ऋण लेने वाले बीच के और छोटे किसान हैं परन्तु उनके हिस्से कुल ऋण का बहुत थोड़ा भाग आता है। इसका कारण यह है कि ऋण उसी किसान को मिल सकता है जिसके पास भूमि हो और उसे वह ज़मानत के रूप में सहकारी समिति के पास रख सकता हो।

किसानों द्वारा लिए गए कुल ऋण में से ७० प्रतिशत भाग महाजनों से मिलता है। महाजनों में उन किसान महाजनों को भी शामिल किया गया है जो कभी-कभी अपने किसान भाइयों को रुपया उधार देते हैं। सहकारिता की सफलता तो बहुत कम रही है। इस बात को देखते हुए कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि सहकारिता की बजाय किसान की ज़रूरतें पूरा करने के लिए कोई और तरीका क्यों न अपनाया जाए ?

सहकारी समितियों के स्थान पर सरकार द्वारा स्वयं ऋण देने के सुझाव को लीजिए। जहाँ तक ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति का सम्बन्ध है, अब तक का अनुभव तो यही है कि इस कार्य में किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिक सफलता नहीं मिली--ऋण तो ऋण, किसी प्रकार की सहायता के वितरण में भी सरकारी एजेंसी को इतनी सफलता नहीं मिली है। कृषि ऋण के क्षेत्र में महाजन का बोल बाला रहना किसान और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए घातक है। उसका तना कड़ा मुकाबला हो कि वह किसान से किसी प्रकार की नाजायज़ शर्त न मनवा सके। सभी रास्ते एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं--और वह लक्ष्य है

सहकारिता । काम सहकारिता से ही निकलेगा, अगर इससे नहीं निकला तो किसी और चीज़ से नहीं निकल सकता । अपनाना हमें इसे ही पड़ेगा और इसको पहले से कहीं अधिक सफलता भी प्राप्त होगी। इसी लिए तो कहना है कि अभी तक सहकारिता कुछ असफल ही रही है लेकिन इसकी सफलता निश्चित है ।

सहकारिता असफल इसलिए रही है, क्योंकि इसका संगठन दृढ़ नहीं है । सफल होने के लिए इसे मज़बूत होना चाहिए । अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो शायद यह कभी भी मज़बूत न हो सके । इस लिए किसी शक्तिदायक तत्व का होना अनिवार्य है । आधुनिक अवस्था में यह कार्य केवल सरकार ही कर सकती है । तभी तो ग्राम ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार हर स्तर पर इस आन्दोलन में भाग ले--गाँवों की समितियों से राज्यों के बैंकों तक, हर प्रकार से भाग ले जैसे ऋण देने में, गोदामों में उपज रखने में, उपज बिकवाने आदि में । सरकार का कार्य केवल पूंजी जुटाने मात्र तक ही सीमित न हो । सरकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भी सहायता दे ।

भावी सहकारी समितियों के पास पर्याप्त काम हो । कई स्थानों पर एक गाँव की बजाय कई गाँव मिलकर समिति बनाएँ । ऐसी समिति अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी नौकर रख सकेगी । ऋण समिति और हाट समिति आपसी ताल-मेल से काम करें ताकि फसल के समय ऋण चुकाने के लिए उपज हाट समिति को बेची जा सके । इस ताल-मेल के फलस्वरूप ऋण बगैर भूमि की जमानत के भी दिया जा सकेगा । इस शर्त पर कि फसल या उसका कुछ अंश हाट समिति को बेचा जाएगा, किसान को रुपया उधार दिया जा सकता है । इस प्रकार छोटा काश्तकार भी अपने काम के लिए रुपया उधार ले सकेगा । साथ ही साथ विवाह आदि पर लिए जाने वाले ऋण भी कम किए जाएँ, क्योंकि इनसे किसी प्रकार का विकास नहीं होता।

[शेष पृष्ठ ११ पर]

गाँव की एक सहकारी समिति की बैठक

बनो आज श्रमदानी !

व्यंकटराव यादव

किए दान तो बहुत किन्तु अब बनो आज श्रमदानी ।
श्रम की महिमा आदि काल से, है भारत ने मानी ॥

श्रम से ही राजा भागीरथ, धरती पर गंगा जी लाए
त्रिविध ताप जिसके दर्शन से, पास न आने पाए
उनके स्वेद-बिन्दु से ही तो, पावन इसका पानी !

बनो आज श्रमदानी !!

श्रम ही से नल और नील ने, सागर ऊपर सेतु बनाया
जिस पर चलकर स्वयं राम ने, जग का दुख परलोक पठाया
श्रम का ही महत्व बतलाने, प्रगटा था सागर विज्ञानी !

बनो आज श्रमदानी !!

श्रम करने में भेद नहीं हो, कोई बड़ा न छोटा होता
इसी बात के बतलाने को, भूप जनक ने हल जोता
तभी इन्द्र ने बरसाया था, बरसों का रोका पानी !

बनो आज श्रमदानी !!

अस्थिदान था ऋषि दधीचि ने, दिया इन्द्र को वज्र बनाने
माँस दान शिवि ने दे डाला, शरणार्थी का प्राण बचाने
रक्तदान की परम्परा तो, भारत की बहुत पुरानी !

बनो आज श्रमदानी !!

दान कवच कुंडल का देकर, हार मानना स्वीकारा
किन्तु ज्येष्ठ भ्राता पांडव का, अपने वचन न हारा
स्वर्णदान में कर्ण सरीखा, हुआ कौन दूजा दानी ?

बनो आज श्रमदानी !!

विद्यादान दिया ऋषियों ने, ब्रह्मचर्य की रीति बनाई
दे निज सुत का दान सिखाती, स्वामिभक्ति पन्नादाई
हरिश्चन्द्र के राज्यदान की, कहो कहाँ जग में सानी ?

बनो आज श्रमदानी !!

शीशदान हाड़ी रानी ने, दे निज पति को राह लगाया
दे शरीर का दान चिता में, ललनाओं ने धर्म बचाया
भारत का इतिहास स्वयं है, बलिदानों की क्षुब्ध कहानी !

बनो आज श्रमदानी !!

अश्रुदान दे माँ बहनों ने, स्वतन्त्रता का मूल्य चुकाया
भूमिदान से सम वितरण का, ध्येय विनोबा आगे लाया
जीवन-दान दिलाता है स्मृति, बौद्ध काल की कथा पुरानी !

बनो आज श्रमदानी !!

भूमिदान अरु ग्रामदान को, देता सम्पत्तिदान सहारा
इन दानों की इस माला का, हो सुमेरु श्रमदान हमारा
मुक्त देश की मुक्त दिशा का, दीपस्तम्भ श्रमदानी !

बनो आज श्रमदानी !!

श्रम का ही महत्व बतलाने, सामूहिक योजना बनी है
धन की यदि यह स्वर्णमुद्रिका, तो श्रम इसकी हीरकनी है
उठो, आज सब स्वेददान दो, देश चाहता है श्रमदानी !

बनो आज श्रमदानी !!

★

सहकारिता की सफलता निश्चित है—[पृष्ठ ९ का शेषांश]

ऋण व्यवस्था के प्रसार के साथ-साथ एक बड़ा संग्रहण कार्यक्रम भी आवश्यक है । इससे किसान उचित मूल्य पर अपना माल बेच सकेगा । उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह फसल तैयार होते ही माल बेचे । अगर गोदाम में सुरक्षित माल का मूल्य मौजूदा ऋण से अधिक है, तो बाकी माल 'भावी ऋण की ज़मानत बन सकता है ।

सहकारिता को हमारे देश में आशातीत सफलता मिल सकती है बशर्ते कि ऋण व्यवस्था पहले से विस्तृत की जाए, ऋण और हाट समितियाँ पहले से बेहतर और मज़बूत हों और सुव्यवस्थित संग्रहण कार्यक्रम लागू किया जाए ।

ऋण की इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पूरी रुचि दिखाई है । इस बात से काफी आशा बँधती है । आशा है कि अब वास्तविक समस्या के महत्व को समझा जाएगा । इस दिशा में जो नए कदम उठाने का सुझाव रखा गया है, उनकी ज़रूरत महसूस करते हो उन सुझावों को स्वीकृति दे दी जाएगी । और इस स्वीकृति को अमली जामा देने के लिए शीघ्र ही कदम उठाया जाएगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि आने वाले १५ वर्षों के अन्दर, आधा ग्राम व्यापार, जिसमें ऋण, हाट व्यवस्था आदि शामिल हैं, सहकारी समितियों के हाथ में आ जाए । दूसरी योजना के अन्त तक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने का लक्ष्य है । इन सदस्यों को समितियों द्वारा दिए गए अल्प-कालीन ऋण की राशि भी ३० करोड़ रुपए से बढ़ा कर १५० करोड़ करने का लक्ष्य है । मध्यम-कालीन ऋण १० करोड़ से बढ़ा कर ५० करोड़ और दीर्घ कालीन ऋण ३ करोड़ रुपए से बढ़ा कर २५ करोड़ करने का लक्ष्य है ।

अगर हर सम्बद्ध व्यक्ति सोच-समझ कर ईमानदारी और सद्भावना से मेहनत करे तो इन लक्ष्यों का प्राप्त कर लेना कठिन नहीं । इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें अगर सफलता मिल गई तो गाँवों पर महाजनों का जो ईजारा है, वह तो खतम होगा ही, साथ ही छोटे से छोटे किसान को भी अपना जीवन पहले से अधिक सम्पन्न बनाने का मौका मिलेगा । इस प्रकार इस जनतन्त्रीय देश के नागरिक के रूप में वह पहले से कहीं अधिक उपयोगी बन सकेगा ।

मिनिकाय द्वीप का रमणीक तट

रमणीक मिनिकाय द्वीप

कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अरब सागर के गर्भ में स्थित मिनिकाय के नन्हें से द्वीप का नाम भी सुना हो। लक्ष द्वीप समूह के मूंगे के इस द्वीप में आज भी स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता है, जितनी भारत के अधिक से अधिक उन्नत और प्रगतिशील जनसमुदाय में भी नहीं पाई जाती।

मिनिकाय मालाबार तट से लगभग ढाई सौ मील दूर कन्या-कुमारी की सोध में है। यह द्वीप अर्धचंद्राकार है और इसका क्षेत्रफल मुश्किल से ३ वर्गमील होगा। इसकी लम्बाई ६ मील है और चौड़ाई कहीं भी आध मील से अधिक नहीं है। यहाँ का प्रकाश-स्तम्भ ८० साल पुराना और १५० फुट ऊँचा है। इसी साल अप्रैल में ब्रिटेन ने इसे भारत को सौंपा है। प्रकाश-स्तम्भ द्वीप की दक्षिणी नोक से आध मील पर बना है।

द्वीप के बीचोंबीच में गाँव बसा है। गाँव में एक पंचायत घर है, जहाँ हर समय तिरंगा झंडा लहराता है। गाँव के प्राचीन और परम्परागत रहन-सहन और जीवन में सरकारी अस्पताल और वायरलेस स्टेशन जैसी आधुनिक चीजें नवीनता और प्राचीनता की गंगाजमुनी-सी लगती हैं। गाँव की जनसंख्या ४,००० होने का अनुमान है पर लगभग १ हज़ार पुरुष हमेशा बाहर रहते हैं और भारत या अन्य दूर देशों के बन्दरगाहों म मल्लाह का काम करते हैं।

द्वीपवासियों के लिए पैसा आज भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। उनके सरल-सादा जीवन की ज़रूरतें बहुत नहीं, जो हैं, वे येन केन प्रकारेण पूरी हो जाएँ, बस इतने में ही वे खुश हैं। द्वीप का सारा व्यापार और बाहर की दुनिया से बहुत सारा व्यापार चीज़ों की अदलाबदली से चलता है।

मिनिकाय के द्वीपवासी मुसलमान हैं, पर यहाँ की स्त्रियाँ पर्दे में नहीं रहतीं। इतना ही नहीं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी बहुत है। द्वीप में उत्तराधिकार की व्यवस्था मातृशासित है। द्वीप की सारी भूमि सरकार की है। इस पर बने मकान ही वास्तविक सम्पत्ति कहे जा सकते हैं और यह भी हाल की ही चीज़ हैं। यहाँ सम्पत्ति सारे परिवार को होती है। यहाँ के कानून के अनुसार मकानों पर भी पुरुषों का अधिकार नहीं होता। मकानों की मालिक स्त्रियाँ मानी जाती हैं। पुरुषों को विवाह होने तक उनमें रहने भर का अधिकार होता है। विवाह के बाद पुरुष ससुराल में जाकर रहने लगता है और ससुराल की ही 'अल्ल' अपना लेता है।

यद्यपि द्वीप में बालविवाह का प्रचार है फिर भी लड़कियों को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। स्त्रियों में साक्षरता प्रायः अधिक है। सरकारी प्राथमिक स्कूल खुलने से पहले भी स्त्रियाँ स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाती-लिखाती थीं। पिछले आम चुनावों में पुरुषों से दुगनी स्त्रियों ने मतदान किया।

द्वीप के नागरिक मामलों में स्त्रियों का ही बोलबाला है। हर मुहल्ले की एक महिला प्रधान होती है। ये प्रधान पंचायत घरों में, जिन्हें 'वरंगी' कहते हैं, एकत्र होकर स्थानीय, घरेलू, सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर विचार विमर्श करती है। 'वरंगियों' में पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है। पुरुषों के पंचायत घर 'अत्रो' कहलाते हैं। पुरुषों का चुना हुआ प्रधान 'मूपान' कहलाता है। पुरुष 'अत्रियों' में एकत्र होकर स्थानीय और आर्थिक समस्याओं पर बातचीत करते हैं। पर 'अत्रियों' की इतनी मजाल नहीं कि 'वरंगियों' के किसी फैसले को पलट सकें।

द्वीप की प्राकृतिक छटा अवर्णनीय है पर यहाँ वनस्पति बहुत कम है। नारियल के असंख्य वृक्ष ही द्वीप का सर्वप्रमुख सौन्दर्य प्रसाधन और आर्थिक दृष्टि से द्वीपवासियों का सर्वस्व हैं। मछली पकड़ना और नारियल के विविध धंधे

सरकारी प्राइमरी स्कूल की एक कक्षा

पंचायतघर के सामने तिरंगा झंडा सदा लहराता रहता है

यहाँ के निवासियों की रोज़ी के साधन हैं।

चूहे इस द्वीप की नारियल की फसल के घोर शत्रु हैं। इनके कारण गरीब द्वीपवासियों को बड़ा कष्ट और हानि उठानी पड़ती है। यहाँ के लोग और सरकार नारियल उद्योग को इस संकट से बचाने का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।

नारियल उद्योग की तुलना में मछली पकड़ने का उद्योग काफी तेज़ी से बढ़ रहा है। आमतौर से एक बार में ५०० रुपए के मूल्य की मछली पकड़ी जाती है पर एक-एक नाव से एक खेप में ३-३ हज़ार रुपए के मूल्य की मछलियाँ भी पकड़ी जा चुकी हैं। मछलियों को नमक के पानी में उबालकर और बाद में सुखाकर भारत, लंका और मलाया भेजा जाता है। इन सुदूर देशों तक मछलियाँ प्रायः छोटी-छोटी नावों में ही ले जाई जाती हैं।

मिनिकायवासी नावें बनाने में बहुत कुशल हैं। अपनी पतली और लम्बी नावों में डिजाइन करने और सजाने में ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं। गति, आकार और रंगबिरंगी सजावट में ये नावें भारत के किसी भी भाग में बनने वाली नावों से कम नहीं हैं।

द्वीपवासियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनका सफाई प्रेम। स्त्री-पुरुष सब नियत शौच स्थानों में ही शौच के लिए जाते हैं। बच्चों को भी नालियों और गलियों आदि में टट्टी करने से रोका जाता है। इस शौच नियम का उल्लंघन करने वालों के साथ कड़ाई बरती जाती है। द्वीप में पीने के पानी, नहाने और कपड़े धोने के लिए अलग-अलग जलाशय हैं। पीने के पानी में कपड़े धोने या स्नान करने की घटना शायद ही कभी सुनने में आती हो।

नावों की दौड़ द्वीपवासियों का बहुत प्रिय खेल है

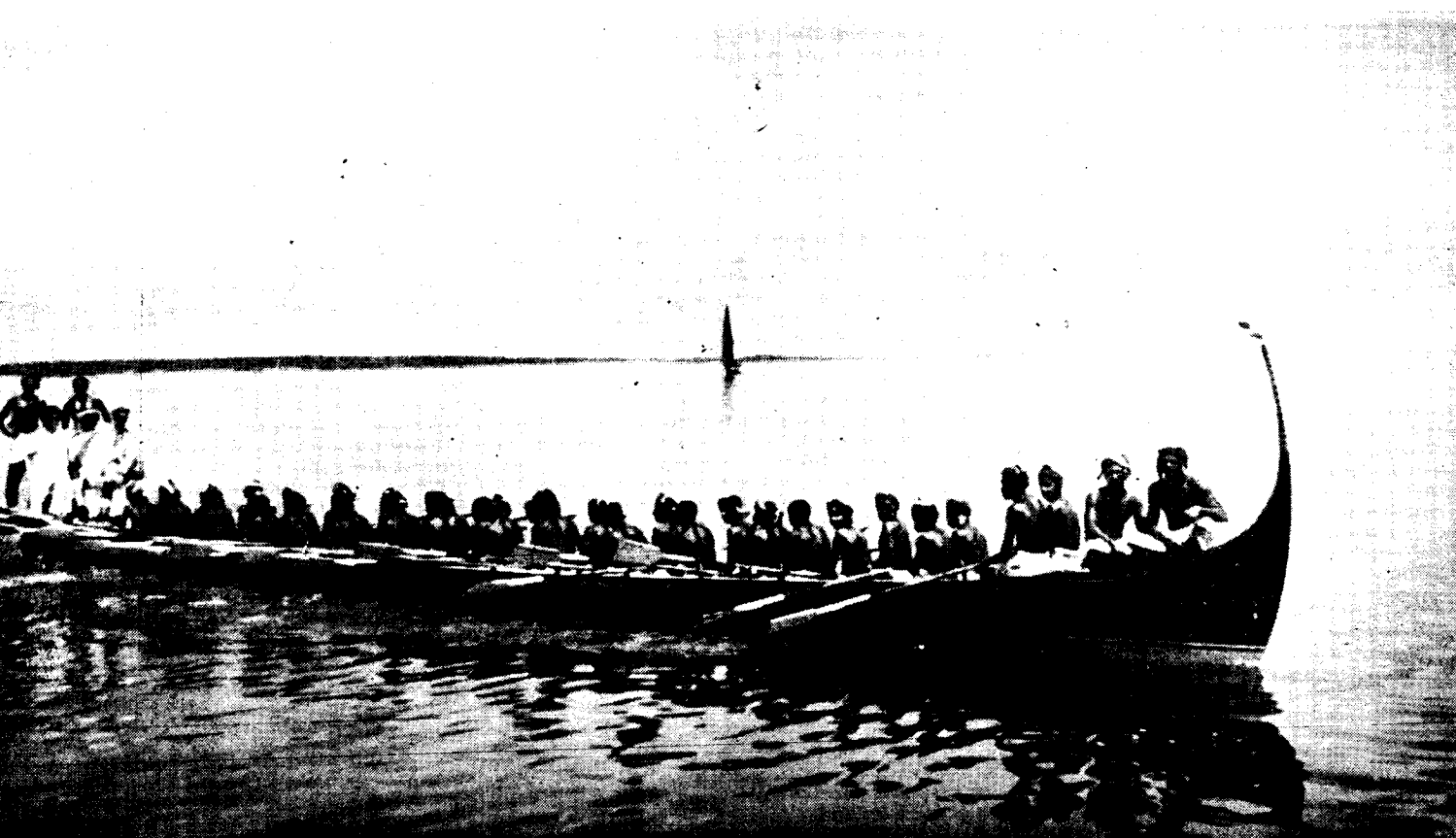

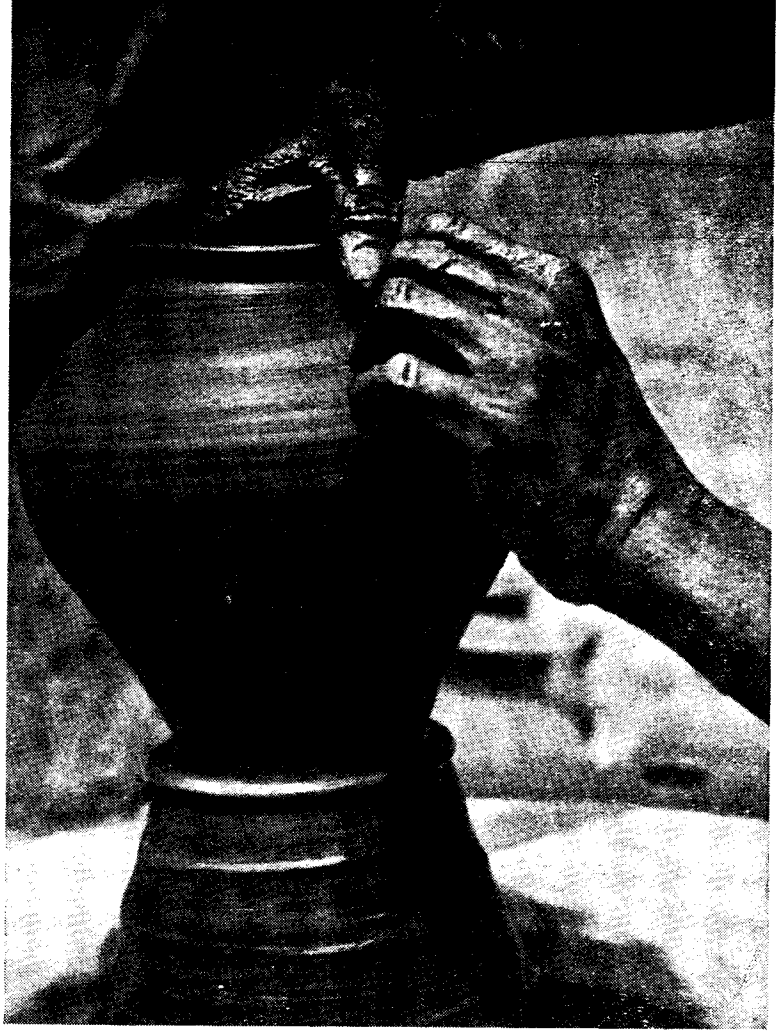

हमारे कारीगर

पहली पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे कारीगरों की बड़ी शोचनीय अवस्था थी। हर्ष का विषय है कि अब इनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब ये समाज में फिर अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेंगे

कृष्णनगर पश्चिम बंगाल का एक छोटा-सा गाँव है। यहाँ के कुशल कारीगर मिट्टी के खिलौने बनाने में अपना सानी नहीं रखते। कारीगर मिट्टी में प्राण फूँक देते हैं

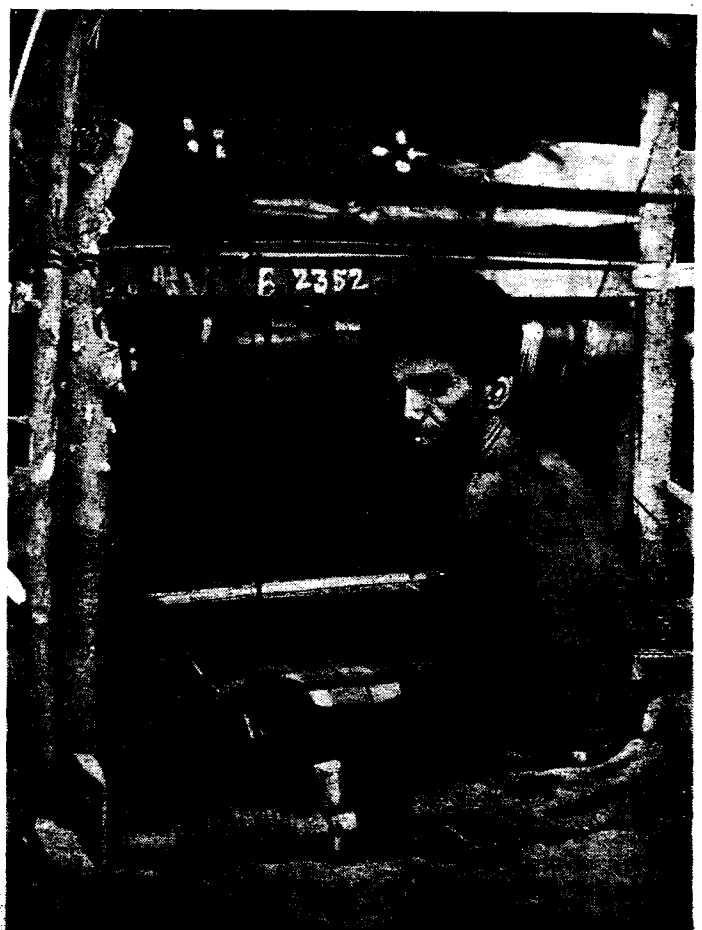

हथकरघा उद्योग हमारे कुटीर उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग है । प्राचीन समय से भारत में श्रेष्ठ किस्म के कपड़े तैयार किये जाते रहे हैं । खेस उद्योगइसका एक महत्वपूर्ण अंग है

एक चक्षुहीन कारीगर ! परन्तु क्या मजाल जो इसकी कुशल उँगलियाँ कहीं धोखा खा जाएँ। नीचे त्रिवांकुर-कोचीन के ही कारीगरों की कुशलता का एक अन्य नमूना है

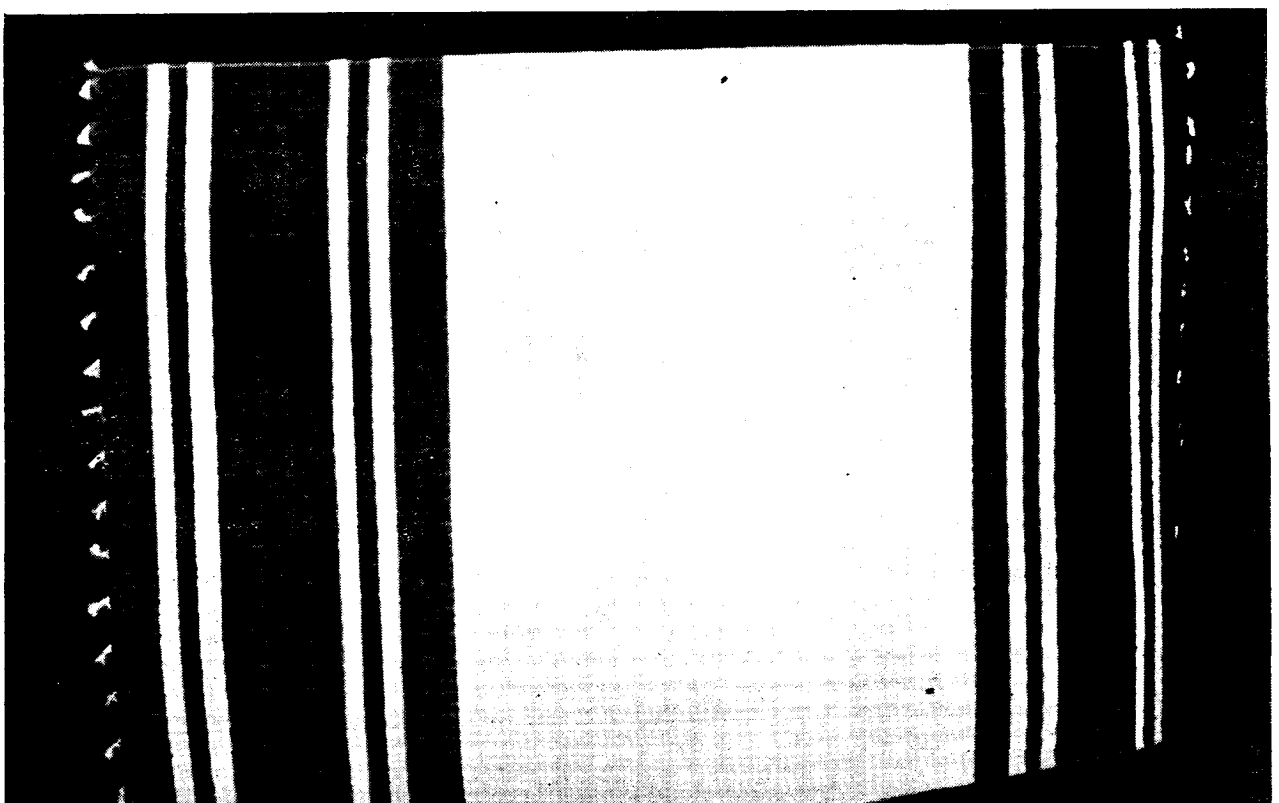

तीन बुनियादी बातें

वी० टी० कृष्णमाचारी

भारत के ८० फी सदी लोग गाँवों में रहते हैं। भारत के गाँव भी अपने पुनर्निर्माण की, अपनी अर्थ-व्यवस्था और विचार-धारा बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों में मदद पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ तथा सामुदायिक विकास योजनाएँ चालू की गई हैं। खास बात यह है कि कोशिशें जनता को ही करनी पड़ती हैं। नवजीवन-निर्माण की कोशिशों में उसे मदद देने के लिए प्रशासन मौजूद ही है।

हम भारत के देहातों के मसले को तब तक हल नहीं कर सकते, जब तक हम लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन न करेंगे और जब तक हम उनमें अच्छा जीवन बसर करने की इच्छा और ऐसे जीवन के लिए काम करने की लगन और दृढ़ निश्चय न पैदा करेंगे। इस बात पर ज़ोर देने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि यह एक मानवीय समस्या है। यह बात नहीं कि हम लोगों से काम लेना चाहते हैं, उनसे तालाब खुदवाना चाहते हैं या सड़कें बनवाना चाहते हैं। खास बात तो यह है कि हम उनके सारे दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। मैंने अपने एक लेख में पहले लिखा था—

> **ग्राम जीवन का सुधार तत्वतः एक मानवीय समस्या है। गाँवों में रहने वाले ६ करोड़ परिवारों का दृष्टिकोण कैसे बदला जाए, उनमें नए ज्ञान और जीवन के नए तरीकों के लिए उत्साह कैसे पैदा किया जाए तथा उनमें अच्छा जीवन बसर करने के लिए इच्छा और इरादा कैसे पैदा किया जाए आदि सब मसले इन्सानी मसले हैं।**

यही पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक विकास-योजनाओं का लक्ष्य भी यही है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि हम किन दिशाओं में दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करें? पहली दिशा, जो मैं बताना चाहता हूँ और जो ग्राम जीवन की सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है, वह है गाँवों में अत्यधिक बेरोज़गारी का होना। इसके मुख्य कारण जान लिए गए हैं। खेती योग्य ज़मीन के पाँचवें भाग को छोड़ कर, जिसमें सिंचाई होती है, भारत की खेती वर्षा पर निर्भर है। उन तमाम क्षेत्रों में जो वर्षा पर निर्भर हैं, खेती का काम साल में केवल ३-४ महीने होता है और इन महीनों में भी ज़रूरत से ज्यादा लोग खेती में लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास करने को और कोई काम ही नहीं होता। सिंचाई वाले क्षेत्रों में साल में छः या सात महीने खेती हो सकती है परन्तु और हालतें वैसी ही हैं। इस प्रकार खेती के काम के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज्यादा लोग खेती के सहारे रहते हैं। इसके अलावा यह बात भी है कि गाँवों की आबादी में हर साल ३० लाख से ३५ लाख तक की वृद्धि होती जा रही है। इस सबको देख कर आप गाँवों में फैली बेरोज़गारी और यदि आप कहना चाहें तो कम रोज़गारी का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। इस बेरोज़गारी के साथ-साथ एक बात और है कि हमारी खेती "गुज़ारे की खेती" है यानी इसमें आधुनिक विज्ञान के तरीकों से खेती करके जितना पैदा हो सकता है, उसका एक अंश भी पैदा नहीं होता। अतः दो सबसे बड़ी बुराइयाँ कम रोज़गार और कम पैदावार हैं और वास्तव में ये दोनों एक दूसरी से गुथी हुई हैं। पहली दिशा, जिसमें हमें गाँव के लोगों का दृष्टि-कोण बदलना है, इन दोनों बुराइयों से सम्बन्धित है। हमें उन्हें अत्यन्त कम रोज़गार और कम पैदावार से पूरे रोज़गार और पूरी पैदावार की ओर ले जाना है। कम रोज़-गार और कम पैदावार दोनों के बुनियादी कारण एक हीं हैं और दोनों एक ही मसले के दो पहलू हैं। काफी परम्परा-गत निपुणता और तजुर्बा होने के बावजूद भी वैज्ञानिक तरीकों से काम न लेना, प्राप्त साधनों का सदुपयोग न करना, ऋण और सिंचाई की सुविधाओं की कमी आदि कारणों से किसान की पैदावार कम रहती है। भरपूर खेती का अर्थ है अधिक पैदावार और पूरा रोज़गार और उसके साथ ही सहा-यक तथा गृह-उद्योगों के लिए अधिक अवसर।

दूसरी दिशा, जिस में हमें तबदीली लानी है, सामुदायिक प्रयत्न की आवश्यकता है। हमें यह बात समझा देनी चाहिए कि जब सब लोग मिल कर अपनी मदद आप करेंगे तभी अपेक्षित सुधार हो सकता है। हम सभी सहकारी आन्दोलन की बात करते हैं। मेरा भी यही विश्वास है कि सहकारी सिद्धान्तों के अपनाने से गाँवों के सभी मसले हल हो सकते हैं। मैं इसके केवल एक पहलू को आपके सामने रखता हूँ। पैदावार बढ़ाने के लिए हम अच्छे बीज, रासायनिक खाद आदि देने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। तुरन्त ही किसानों के लिए थोड़े समय के ऋण का सवाल पैदा होता है। ऐसे

ऋण के बिना हमारा यह आदर्श पूरा नहीं होता कि हर परिवार के लिए एक छोटी-सी सुधार योजना हो जिसके लिए वह काम करे। यद्यपि भारत में सहकारी समितियाँ लगभग ४० साल से चल रही हैं फिर भी हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी और उन क्षेत्रों में भी जहाँ सहकारिता का सबसे अधिक विकास हुआ, केवल ३० फी सदी किसान-परिवारों को ही सहकारी समितियों की कर्ज की शर्तों पर कर्ज मिल सकता है। केवल ३० फी सदी ही कर्ज पाने योग्य हैं। बाकी ७० फी सदी किस तरह कर्ज पाने योग्य बनेंगे? इसका एक ही हल है कि गाँव के सारे किसान-परिवार यह समझ लें कि उनके हित आपस में मिले हुए हैं और पैदावार बढ़ाने तथा गाँव की हालतों को सुधारने के लिए उन्हें सम्मिलित यत्न करने हैं। धनी किसानों को चाहिए कि वे दूसरे किसानों को मदद दें जिससे सारे गाँव में रहन-सहन का स्तर एक साथ ऊँचा हो जाए। ग्राम के लोगों द्वारा अपने मसलों को हल करने के लिए मिल कर काम करने की जरूरत, अधिक-से-अधिक सहयोग की जरूरत, यही दूसरी दिशा है। तीसरी दिशा है—सामूहिक हित के लिए मिल कर काम करने की जरूरत। गाँवों में सड़कों, तालाबों आदि की जरूरत है। गाँववालों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे केवल निजी प्रयत्नों से इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। सरकार भी कुछ हद तक अनुदानों, या ऋण दे कर मदद करेगी पर यह खास कोशिशें उनकी ही होनी चाहिएँ। गाँव के स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि के लिए और अधिक आवश्यक स्थायी सुधारों पर भी वही बात लागू होती है जो मैंने सामुदायिक लाभ के कार्यों के बारे में कही है। इसके लिए भी उस महान् बेकार शक्ति के एक भाग को समाज की भलाई के लिए काम में लगाने की जरूरत है, यह बात उन्हें समझानी है।

तब ये तीन दिशाएँ हैं जिनमें दृष्टिकोण बदलने का और इसके लिए काम करने की जरूरत है—पहली, खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाकर रोजगार और पैदावार को बढ़ाना। खेती में बागवानी, पशु-पालन, मछली उद्योग आदि और सहायक तथा घरेलू उद्योग भी सम्मिलित समझने चाहिएँ। दूसरी, अपनी मदद आप करना, अपने ही ऊपर निर्भर रहना और सहयोग के सिद्धान्त का अधिक-से-अधिक विस्तार करना। तथा तीसरी, गाँवों में काम में न आने वाली अपार शक्ति और समय के कुछ भाग को समाज के हित के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता।

एक सवाल यह है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकारी यन्त्र को किस तरह पुनर्गठित किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में मिलेगा। यह एक स्थायी संगठन है जो इस बात को ध्यान में रख कर ग्राम जीवन के दर्जे को ऊँचा उठाने के लिए बनाया गया है कि उसके सब पहलू एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसका बुनियादी सिद्धान्त है कि गाँव के जीवन को समझने का सही और एक ही ढंग निकालना और लोगों को अपनी दशा आप सुधारने में सहायता देना। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में बहुत दिनों से ऐसे संगठन मौजूद हैं, और भारत के कई क्षेत्रों में भी इसी तरह के काम करने की कोशिश की गई थी। विचार यह है कि हम राज्य सरकारों की मदद से इस संगठन को ६ से ८ साल तक सारे भारत में फैला दें। सामुदायिक विकास-योजनाओं का आधार भी वही है जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का है। उनके लक्ष्य और तरीके एक जैसे हैं। पर सामुदायिक योजना के क्षेत्रों में आम तौर पर तीन साल तक खर्च करने के लिए बहुत-सी रकम देकर, उच्च कोटि का विकास करने की कोशिश की गई है। ये योजनाएँ तीन साल के लिए हैं और अस्थायी हैं, परन्तु राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ स्थायी होती हैं, क्योंकि ग्राम जीवन का सुधार लगातार जारी रहने वाली चीज है।

योजनाएँ इस बात से जाँची जाएँगी कि वे किस हद तक मेरी बताई हुई दिशाओं में लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में सफल हुई हैं। खाद के कितने गड्ढे खोदे गए, कितने मन बीज दिया गया, और इसी तरह की और बातें गिनाना काफी नहीं है। इनकी जाँच इस प्रकार होगी, क्या सामुदायिक विकास-योजनाओं के क्षेत्र में हर परिवार की सुधार-योजना है, जिसके लिए वह अधिक-से-अधिक कोशिश करता है और उपयुक्त नए तरीकों, बीज, खाद और उर्वरकों का प्रयोग करता है? क्या क्षेत्र का हर परिवार "ऋण पाने योग्य" बन गया है, और क्या हर परिवार, अपनी योग्यता के आधार पर कम-से-कम एक सहकारी समिति का सदस्य है? क्या हर परिवार ने श्रम या धन से सामूहिक लाभ के कार्यों में योग दिया है? गाँव की स्त्रियों तथा नौजवानों को इस कार्य में भाग लेने के लिए किस हद तक आकृष्ट किया गया है? क्या ये कार्य गाँव के स्थायी जीवन का अंग बन चुके हैं और अस्थायी नहीं हैं? इन जाँचों द्वारा योजनाओं के कार्यों का मूल्य आँका जाना चाहिए।

दृष्टिकोण बदलने का जिस बात का जिक्र मैंने किया है वह आपसी मेल-जोल और विषय को उनके सामने ठीक ढंग से पेश करने से ही हो सकती है। इस सब की कुंजी ग्राम कार्यकर्ता के ही पास है। उसे गाँववालों के पथ-प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में ठीक-ठीक काम करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए।

[शेष पृष्ठ ३२ पर]

एक केन्द्र में बच्चों का कक्ष

स्त्रियों और बच्चों के लिए कल्याण-योजनाएँ

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो समाज सेवा योजनाएँ बनाई गई थीं उनमें समाज के ज़रूरतमंद वर्गों की सहायता करने तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के कल्याण की योजनाओं का प्रमुख स्थान था। दूसरी योजना की अवधि में इन कल्याणकारी सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि होगी और समाज के गठन पर उसका अधिक प्रभाव पड़ सकेगा।

देश में सेवा संस्थाओं की संख्या काफी अधिक है। केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से आकर्षित हो कर इनकी संख्या और भी बढ़ रही है। पिछले तीन वर्षों का अनुभव यही बताता है।

अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में मण्डल से सहायता पानेवाली विभिन्न श्रेणियों की सेवा संस्थाओं की संख्या लगभग २,८०० होगी। इनमें से लगभग १,३०० पूर्व-स्थापित या भविष्य में स्थापित होनेवाली ऐसी संस्थाएँ होंगी, जिनकी महत्वपूर्ण सेवाएँ सर्वमान्य हैं तथा जिन्हें पाँच वर्षों की अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा ५०-५० हज़ार रुपए तक के अनुदान दिए जाएँगे। अन्य लगभग २,५०० संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ३-३ हज़ार रुपए के वार्षिक अनुदान देने के विषय में विचार किया जाएगा।

अगर यह कार्यक्रम ठीक से चला, तो दूसरी योजना के अन्त तक देश में विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्य करनेवाले बहुत से सेवा संगठन हो जाएँगे, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में काम करनेवाली आदर्श संस्थाएँ माना जा सकेगा।

इसमे सेवाओं में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के गाँवों की स्त्रियों, बच्चों और विकलाँगों के लिए कल्याण सेवाओं की आवश्यकता सब से अधिक है । उन्हें न्यूनतम कल्याण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कल्याण विस्तार योजनाओं में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी । इस समय २०० योजनाओं का लाभ ८,००० गाँवों को पहुँच रहा है । इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग १,१२० कर दी जाएगी, जिनसे ४०,००० से ५०,००० तक गाँवों को लाभ पहुँचेगा ।

इन योजनाओं में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी । सामुदायिक विकास-योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कृषि सुधार, संचार व्यवस्थाओं, सहकारिता तथा घरेलू उद्योगों पर या दूसरे शब्दों में उत्पादन बढ़ाने और ज़्यादा लोगों को काम देने पर ज़ोर दिया जाता है । इन योजनाओं में गाँवों की स्त्रियों, बच्चों और विकलांगों की आधारभूत आवश्यकताओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता ।

दूसरी योजना में बहुत से कल्याण विस्तार योजना-केन्द्रों का काम प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम सेवकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें गाँवों की स्त्रियों और बच्चों के बीच कल्याण कार्य करने का अनुभव है । इससे सेवाओं में काफी सुधार होगा ।

गाँवों के कल्याण विस्तार आन्दोलन का उद्देश्य गाँवों के अज्ञात कल्याण कार्यकर्ताओं को खोज कर उन्हें गाँवों की स्त्रियों, बच्चों तथा विकलांगों के कल्याण सम्बन्धी रचनात्मक कार्यों में लगाना है । इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम कल्याण कार्य अधिकतर स्वयंसेवक कल्याण कार्यकर्त्रियों के हाथ में है, और ज्यों-ज्यों यह कार्य बढ़ता जाएगा, इन कार्यकर्त्रियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी । ये कार्यकर्त्रियाँ जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर ही यह कार्य करती हैं । प्रत्येक

मद्रास के एक केन्द्र में सिलाई की कक्षा

मिनिकाय द्वीप की सरकारी डिस्पेन्सरी में डाक्टर द्वारा एक बच्चे का निरीक्षण

योजना-केन्द्र में वेतन भोगी कर्मचारी कम से कम हैं। ये हैं—एक ग्राम सेविका, एक शिल्प सहायक तथा एक प्रशिक्षण प्राप्त दाई। जो खर्च होता है उसका आधा केन्द्रीय मण्डल द्वारा दिया जाता है तथा बाकी लोगों के दानों और राज्य सरकारों के अनुदानों से पूरा किया जाता है।

स्त्री-कल्याण की और योजनाओं से वेश्यालयों आदि से निकाली गई स्त्रियों का नैतिक और सामाजिक सुधार किया जाता है। वेश्यावृत्ति यद्यपि बहुत पुराने ज़माने से चली आनेवाली बुराई है, किन्तु एक सभ्य सरकार तथा उसके नागरिक उसका जारी रहना सहन नहीं कर सकते। कई राज्यों में वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण रखने तथा उसे रोकने के कानून बने हुए हैं, परन्तु उनसे थोड़ी बहुत ऊपरी रोकथाम होती है। इस बुराई को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिनसे यौन दृष्टि से बिगड़ी हुई स्त्रियों को शरीर विक्रय से हटाकर स्थायी रूप से अन्य उपयुक्त कार्यों में लगाया जाए।

वेश्याओं का सुधार करने के बाद उनकी देखभाल तथा उनके पुनस्संस्थापन के लिए केन्द्रीय मण्डल ने एक योजना बनाई है। इसके साथ ही एक और योजना भी बनाई गई है जिसका उद्देश्य जेलों से छूटी हुई स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की बाद की देखभाल करना और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उनका स्थायी पुनस्संस्थापन करना है।

इसके लिए देश में बाद की देखभाल करने वाले ८० आश्रम तथा ३७० आश्रय स्थल बनाए जाएँगे। आश्रमों के साथ-साथ उत्पादन केन्द्र भी होंगे। इस तरह के आश्रम खोलने तथा उनके लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो चुका है।

मण्डल, शहरी स्त्रियों के कल्याण के लिए भी दो योजनाएँ चला रहा है। एक योजना शहरों में औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ खोलने की है, जिनमें निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियाँ छोटे औद्योगिक कार्य करेंगी, जैसे दियासलाई बनाना आदि। दूसरी योजना, शहरों में नौकरी करनेवाली स्त्रियों की रिहायश के लिए उपयुक्त होस्टल बनवाने के सम्बन्ध में है। इसके अनुसार, कल्याण संगठनों को होस्टल बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

देश में समाज कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने में दो उल्लेखनीय बातें सामने आई हैं। पहली यह है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक स्वेच्छा प्रेरित कल्याण कार्यकर्त्ताओं की सेवाएँ और सहयोग प्राप्त हुआ। दूसरा यह कि समाज सेवी संगठनों तथा कार्यकर्त्ताओं को और अच्छी तरह काम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान दिए गए। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि इस तरह जो धन दिया जाए, उसका अधिकतम उपयोग हो।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल समाज कल्याण कार्यों पर १४ करोड़ रुपए और बाद की देखभाल तथा नैतिक और सामाजिक उत्थान की योजनाओं पर १० करोड़ ५० लाख रुपया खर्च करेगा।

कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में देखने की सब से मुख्य बात यह होती है कि इनसे कितने मानवों को लाभ पहुँचता है।

लोकोक्तियों में वर्षा-वर्णन

अनवर आगेवान

हमारे देश की अमूल्य सांस्कृतिक निधि आज भी असंख्य ग्रामों में उन कथा, कहानियों, कहावतों और गीतों के रूप में बिखरी पड़ी है जो जन-जन के मानस में निवास करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं।

ऋतु सम्बन्धी साहित्य में वर्षा की लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें प्रकृति वर्णन की अपेक्षा ग्रामवासियों के अनुभव और विश्वास की विवेचना अधिक मात्रा में की गई है। यहाँ हम कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस लोकोक्ति में चिड़िया का भूमि पर लोटना वर्षा का चिन्ह माना गया है--

जब कबहू भूमि पर,
चिड़िया लोटे सानन्द।
'किशन' कहे बरसन चहत,
घर घर होय आनन्द॥

इसी विषय की अन्य लोकोक्तियाँ देखिए--

उल्टे गिरगिट और सरप चढ़े
वृक्ष की ओर।
वर्षा होवे जल बढ़े,
बोले दादुर मोर॥
तीतर पंखी बादरी,
विधवा काजल रेख।
ये बरसे वह घर करे,
या में मीन न मेख॥
पुरवाई बहुत बहै,
विधवा पान चबाय।
यह ले आवै नीर को,
वह काहू संग भगि जाय॥
कल से पानी गर्म हो,
चिड़िया नहावै धूर।
चींटी ले अण्डा चढ़े,
वर्षा हो भरपूर॥

इस प्रकार उक्त लोकोक्तियों में गिरगिट और सर्प का उल्टा चढ़ना, दादुर और मयूर का बोलना, तीतर-पंखी बादलों का आकाश में दीखना, पुरवाई हवा का चलना आदि सभी चिन्ह प्रगट करते हैं कि वर्षा होनेवाली है।

इन लोकोक्तियों में केवल बाह्य प्राकृतिक संकेतों का वर्णन है जिनसे अनुमान किया जा सकता है कि वर्षा शीघ्र ही होने वाली है। किन्तु कुछ मासों में यदि निश्चित तिथि को वर्षा हो तो उससे भी भविष्य की वर्षा के सम्बन्ध में परिणाम निकाले जा सकते हैं--

कातिक सुद पूनो दिवस,
जो कृतिका रिख होइ।
तामें बादर बीजरी,
जो संजोग सौं होइ॥
चार मास तौ वर्षा होसी,
मिली भाँति यों भाषैं जोसी॥

कार्तिक सुदी पूर्णिमा को यदि कृतिका नक्षत्र हो और उस में संयोग से बादल और बिजली भी हों, तो समझना चाहिए कि चार महीने वर्षा अच्छी होगी।

मार्ग बदी आठैं घटा,
बिज्जु समेती जोइ।
तो सावन बरसै भलो,
साखि सवाई होइ॥

यदि अगहन कृष्ण अष्टमी को आकाश में बिजली के साथ घटा छाई हो तो अगले सावन में वर्षा अच्छी होगी और उपज सवाई होगी।

मूल आदि भरणी कर अन्त,
चन्द्र चार तें गर्भ कहन्त।
कारी घटा गगन में छावै,
बहय पवन जों वृष्टि लावै॥
सो दस्वारक नीक कहावै,
वर्षा करिकै अन्न बढ़ावै।
जों दस्वारक वर्षा होय,
पुहुमी धूरि लोटा पय सोय॥

पूस अमावस्या के मूल नक्षत्र में दस दिन तक यदि काली घटा आकाश में रहे तथा हवा भी चलती रहे, परन्तु वर्षा नहीं हो तो अवश्य चारों मास वर्षा होगी, इसमें सन्देह नहीं।

सोम सुक्र सुरगुरु दिवस,
पौष अमावस होय।
घर घर बजे बधावड़ा,
दुखी न दीखै कोय॥

यदि पौष की अमावस्या को सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार पड़े तो ऐसा सुकाल होगा कि घर-घर शहनाई बजेगी और कोई दुखी न देख पड़ेगा।

माघ अन्धेरी सप्तमी,
मेह बिज्जु दमकंत ।
मास चारि बरखै मही,
मत सोचै तू कंत ॥

यदि माघ कृष्ण सप्तमी को घटा घिरी हो और बिजली चमकती हो तो चार मास बरसात अच्छी होगी। इसकी चिन्ता मत करो।

फागुन बदी सुदूज दिन,
बादर होय न बीज ।
बरसै सावन भादवा,
साधो खेलो तीज ॥

फागुन बदी दूज को यदि बादल हों पर बिजली न चमके, अथवा न बादल हों न बिजली, तो सावन-भादों दोनों महीनों में वर्षा होगी। हे सज्जनो ! आनन्द से तीज का त्यौहार मनाओ।

इसी प्रकार महीनों की लोकोक्तियाँ भी हैं—

चत पूर्णिमा होई जो
सोम गुरौ बुधवार ।
घर घर होई बधावड़ा
घर घर मंगलाचार ॥

अखै तीज तिथि के दिना,
गुरु होवै सजूत ।
तो भाखै यों भड्डरी,
उपजै नाज बहूत ॥

जेठ मास जो तपै निरासा ।
तो जानो वरषा की आसा ॥

दसै असाढ़ी कृष्ण को,
मंगल रोहिनी होय ।
सस्ता धान बिकार है,
हाथ न छुइहै कोय ॥

सावन शुक्ला सप्तमी,
छपि कै ऊगहि भान ।
तौं लगि मेघा बरसै,
जौं लगि देव उठान ॥

इसी प्रकार अनेक लोकोक्तियों में वर्षा न होने के विषय में भी भविष्यवाणी की गई है—

कार्तिक मावस देखो जोसी,
रवि शनि भौमवार जो होसी ।
स्वाति नखत अरु आयुष जोगा,
काल पड़ै अरु नासै लोगा ॥

ज्योतिषी कार्तिकी अमावस्या को देखे कि यदि उस दिन रवि, शनि या मंगलवार पड़े, स्वाति नक्षत्र और आयुष्य योग भी हो तो अवश्य अकाल पड़ेगा और मनुष्यों का नाश होगा।

माघ जु परिवा उजली,
बादर वायु जो होय ।
तेल और सरपी सबै,
दिन दिन महँगो होय ॥

यदि माघ शुक्ल प्रतिपदा को बादल रहे और बिजली भी चमकती हो तो तेल और घी दिन-दिन महँगे होते जाएँगे।

रोहिणी माहीं रोहिणी,
एक घड़ी जो दीख ।
हाथ में खपरा मेदिनी,
घर घर मांगै भीख ॥

यदि चैत्र मास में एक घड़ी भी रोहिणी रहें, तो उस साल ऐसा अकाल पड़ेगा कि पृथ्वी के लोग खप्पर लेकर घर-घर भीख माँगते फिरेंगे।

सावन पहली पंचमी,
जोर की चलै बयार ।
तुम जाना पिय मालवा,
हम जावै पितुसार ॥

सावन कृष्ण पंचमी को यदि तेज़ हवा चले तो हे प्रिय ! तुम मालवा जाना और मैं पिता के घर चली जाऊँगी अर्थात् अकाल पड़ेगा।

इस प्रकार कहावतों और लोकोक्तियों में अकाल-सुकाल, महँगाई आदि सभी विषयों की चर्चा मिलती है।

★

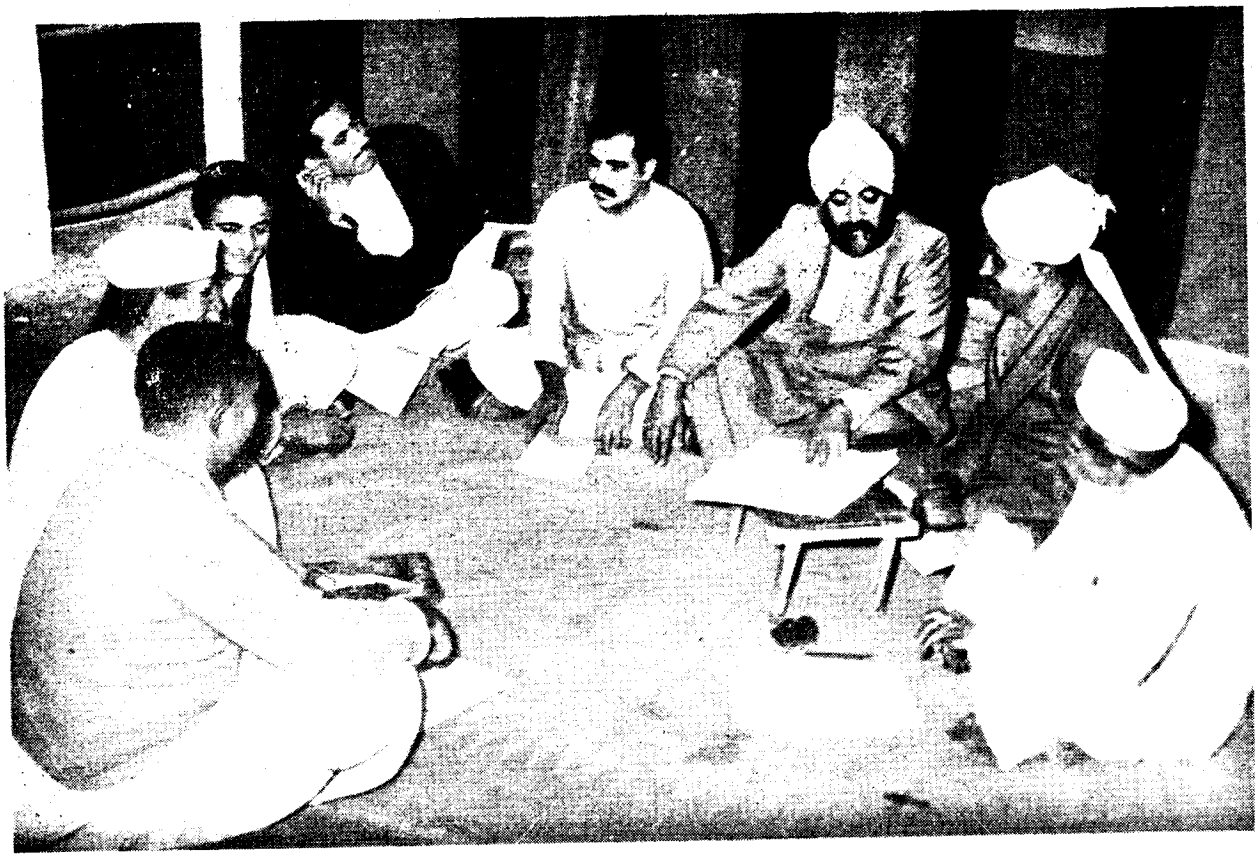

पुस्तकालय अथवा शिक्षा केन्द्र में पंच लोग कल्याण कार्यों पर प्रायः सोच-विचार करते हैं

समाज शिक्षा क्यों और कैसे ?

धर्मपाल चौधरी

प्रत्येक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में समाज शिक्षा नींव का काम देती है। लगभग ढेढ़ सौ वर्ष तक निरन्तर परतन्त्र रहने के कारण हमारी सामाजिक चेतना प्रायः लुप्त हो गई थी। स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द आदि ने जनता को समय-समय पर आध्यात्मिकता तथा समाज सुधार का पाठ पढ़ाया, परन्तु राजनीतिक पराधीनता के कारण समाज का ढाँचा न बदल सका। महात्मा गान्धी के नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, किन्तु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भी हमारी सामाजिक चेतना अभीष्ट मात्रा में जागृत नहीं हुई। इस चेतना को जगाने की प्रक्रिया को ही समाज शिक्षा का नाम दिया गया है।

समाज शिक्षा कोई नई बात नहीं है। यह उतनी ही पुरानी है जितना मानव। भारतवर्ष में समाज शिक्षा का आधुनिक रूप कई युगों के प्रयोगों का परिणाम है। भारत में प्रत्येक युग में जनता को शिक्षित करने की परम्परा रही है। सब से पहले प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग मद्रास में हुआ। सन् १९३७ में जब कई राज्यों में काँग्रेस सरकारें बनीं तो प्रौढ़ शिक्षा की जितनी उन्नति हुई उतनी पिछले पचास वर्षों में कभी नहीं हुई थी। स्वतंत्रता संघर्ष के युग में यह आवश्यक समझा गया कि देश के ८० प्रति शत अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाए ताकि वे समाज के लिए उपयोगी बन सकें। बिहार में डाक्टर सयद महमूद तथा मद्रास में श्री राजगोपालाचारी के प्रयत्न इस दिशा में विशेष सराहनीय रहे। सन् १९३८ में इण्डियन एडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन (भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था) की स्थापना से प्रौढ़ शिक्षा को और भी प्रगति हुई।

पराधीनता और द्वितीय महायुद्ध के कारण प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति में काफी बाधा पड़ी। स्वतंत्रता पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा

का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होने लगा। अब प्रौढ़ शिक्षा के प्रति देश और सरकार का दृष्टिकोण बदलने लगा। प्रौढ़ शिक्षा के अब तक के परिणाम सन्तोषजनक नहीं थे। दिन भर के थके हुए व्यक्तियों को पढ़ने का कोई शौक नहीं रहता। उन को तो मनोरंजन चाहिए। १९४८ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने प्रौढ़ साक्षरता की योजना पर विचार प्रकट किया कि केवल साक्षरता द्वारा समाज में चेतना जागृत करने में सफलता नहीं मिल सकती। अतः यह निश्चय किया गया कि प्रौढ़ साक्षरता को समाज शिक्षा का व्यापक रूप दिया जाए, जिस में साक्षरता के अतिरिक्त सामाजिक चेतना, स्वास्थ्य, कृषि तथा कला सम्बंधी बातें और रोजमर्रा की जिन्दगी की बातों का ज्ञान कराना भी शामिल हो।

अब देखना यह है कि समाज शिक्षा किसे कहते हैं? क्या यह विज्ञान है, कला है, या पद्धति है?

दूसरे शब्दों में समाज शिक्षा व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिवर्तनों को अपनाने का एक साधन मात्र है। इसलिए समाज शिक्षा एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। प्रौढ़ों को साक्षर बनाना और मनोरंजन, तथा नृत्य संगीत आदि के कार्यक्रम ही समाज शिक्षा नहीं हैं। देखना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है और इन का समाज तथा व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सामाजिक प्रगति का अभिप्राय समाज तथा व्यक्ति को बदलना है तो व्यक्ति को इन परिवर्तनों के लिए तैयार करने और उन को अपनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम को समाज शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। जिस शिक्षा द्वारा एक समुदाय अपनी सहायता स्वयं करना सीख जाए, उसे अपनी समस्याएँ समझना तथा उन्हें स्वयं हल करना आ जाए, उसे समाज शिक्षा कहते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि समाज शिक्षा की क्या आवश्यकता है? हमारे समाज में जिन प्रौढ़ व्यक्तियों को बचपन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला उन्हें इस अवस्था में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन में समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता आ जाए। यह आवश्यक नहीं है कि उन की कक्षा बना कर उन्हें साक्षर बनाया जाए। केवल साक्षरता ही पर्याप्त न होगी क्यों कि हमारा ध्येय सामाजिक चेतना को जागृत करना है, जो कोरी साक्षरता से पूरा नहीं हो सकता। उस के लिए समाज शिक्षा

केन्द्र में साक्षरता के साथ-साथ स्त्रियों को सिलाई आदि भी सिखाई जाती है

हमारी प्रौढ़ महिलाओं में भी शिक्षा के लिए उत्साह की कमी नहीं है

के दूसरे साधन अर्थात् श्रव्य और दृश्य प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने का मतलब है सामाजिक चेतना को जगाना ताकि सामाजिक ढाँचे में यदि कहीं गड़बड़ हो तो लोग समाज में परिवर्तन ला सकें।

समाज शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रौढ़ साक्षरता, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना नहीं है। यह तो सामाजिक चेतना को जागृत करने के साधन हैं जिनका उद्देश्य है समुदाय द्वारा समुदाय का कल्याण। सामुदायिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत, कृषि का विकास, पशु पालन के नए तरीके, यातायात के साधन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, आर्थिक उन्नति इत्यादि कार्यक्रम आते हैं। किन्तु देखा गया है कि हमारे लोग कई बार विशेषज्ञों द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाने में घबराते हैं। कई बार विशेषज्ञ अपने प्रयत्न करने पर भी गाँव वालों को इन सुधारों के लाभ समझाने में असफल तथा असमर्थ रहते हैं। यहीं समाज शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन ने इस कार्यक्रम में समाज शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए हैं। सामान्यतः उनका काम लोगों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम बनाना है, जिससे कि विशेषज्ञों द्वारा बताए गए उत्पादन बढ़ाने के नए उपायों को जनता अपना ले। जनता को समझा कर नए उपाय अपनाने के लिए तैयार करने का काम भी समाज शिक्षा के ही अन्तर्गत आता है। चाहे वह साक्षरता, भाषणों, रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं, मेलों, नाटकों अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों आदि किन्हीं भी साधनों से क्यों न किया जाए। हमारा ध्येय समाज को अहिंसक तरीके अपना कर बदलना है। यह कहना अनुचित न होगा कि समाज शिक्षा विकास तथा प्रगति के रथ के उन पहियों के समान है जो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाते हैं।

अब यह स्पष्ट हो गया कि समाज शिक्षा का लक्ष्य समाज की समस्याओं का समाधान तथा कुरीतियों को दूर करना है। देखना यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कौन से कार्यक्रम अपनाए जाएँ। इन कार्यक्रमों को हम नीचे दी गई श्रेणियों में बाँट सकते ह--

प्रौढ़ साक्षरता के विषय में कहा जाता है कि यद्यपि समाज शिक्षा का आरम्भ साक्षरता से हुआ किन्तु अब यह विषय

समाज शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं रहा क्योंकि लोगों की रुचि केवल साक्षरता में नहीं है। जो उनको पढ़ने-लिखने के लिए कहा जाता है तब वे कह उठते हैं कि "बूढ़े तोते अब क्या पढ़ेंगे। ले जाओ हमारे बच्चों को, इनको पढ़ना-लिखना सिखाओ"

साक्षरता से सम्बद्ध एक अन्य समस्या है—प्रौढों की साक्षरता को नष्ट न होने देना। इसके लिए पढ़ना-लिखना सिखाने से आगे के कार्यक्रमों, चलते-फिरते पुस्तकालयों तथा पत्र पत्रिकाओं से काम लिया जाता है। प्रदर्शनियाँ, मेले, रेडियो वार्तालाप आदि कई ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा साक्षरता के स्तर को बनाए रखा जाता है। यदि साक्षरता के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम हमारे ध्येय की पूर्ति में अधिक सहायक हो तो साक्षरता के पीछे न पड़ कर समाज शिक्षक को किसी और उपयोगी कार्यक्रम में अपनी शक्ति लगानी चाहिए।

मनोरंजन भी शिक्षा का एक प्रबल साधन है। इस बात का ज्ञान हमारे प्रौढ़ शिक्षकों को पहले नहीं था, किन्तु अब मनोरंजन कार्यक्रम एक पृथक कार्यक्रम न रह कर समाज शिक्षा का एक अंग बन गया है। खेल-कूद, नाटक, कविता, सामूहिक प्रीति भोज आदि ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा समाज सेवक, समाज के साथ अपने सम्बन्ध जोड़ सकता है। बाल विवाह, मद्यपान, छूत-छात, पर्दा और जाति-पांत की बुराइयों को इन साधनों के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसी भी समस्या को नाटकों तथा गुड़ियों के नाच आदि द्वारा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।

गाँव के लोगों को नए-नए धन्धों का ज्ञान करवाना, मेले और औद्योगिक प्रदर्शनियाँ करना, सहकारी संस्थाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना आदि कार्यक्रम इस श्रेणी में आते हैं। ग्रामीण जनता को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना आवश्यक है। इसलिए नए वैज्ञानिक तरीकों से कृषि को सुधारना और यातायात-व्यवस्था को ठीक करना भी इस श्रेणी में शामिल है। ग्राम सेवक अपने कार्यक्रम द्वारा गाँव वालों का ध्यान इस आवश्यकता की ओर दिलाएँ तथा विशेषज्ञों के लिए मैदान तैयार करें ताकि लोग खेती के नए तरीकों तथा गृह उद्योगों को अपना लें।

बच्चों, जवानों तथा स्त्रियों के दल बनाने तथा उनके द्वारा गाँव में सफाई, टीका लगवाने, साक्षरता तथा बच्चों को पाठशालाओं में भेजने का प्रचार करवाना, सांस्कृतिक काम करवाना तथा समाज के पतित लोगों की सेवा करना इस कार्यक्रम में आ जाते हैं।

मनोरंजन शिक्षा का एक सरल और प्रबल साधन है

प्रगति के पथ पर

हाट-व्यवस्था का महत्व

"गाँवों की आर्थिक दशा सुधारने में पैदावार की हाट-व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है।" ये शब्द केन्द्रीय कृषि मन्त्री डा० पंजाबराव देशमुख ने हाल ही में कृषि हाट-व्यवस्था के प्रशिक्षण के पहले पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहे। कृषि हाट-व्यवस्था के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए, दूसरी योजना में कृषि हाट-व्यवस्था में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने की एक योजना भी सम्मिलित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा ३० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डा० देशमुख ने कहा कि आजकल लाभ का अधिकांश भाग निर्यातकों और दूसरे बिचौलियों की जेब में चला जाता है। अच्छी और विकेन्द्रित हाट-व्यवस्था होने पर यह लाभ किसानों को मिल सकता है और इस तरह धन का भी समान वितरण हो सकता है। उपज की ज्यादा कीमतें मिलने से किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। फलस्वरूप हमारे 'खेती का जापानी तरीका' और 'उर्वरकों का उपयोग' आदि आन्दोलन भी सफल होंगे।

दूसरी योजना में हाट-व्यवस्था की चर्चा करते हुए कृषि मन्त्री ने कहा कि हमारी योजना के निर्माता पैदावार की हाट-व्यवस्था के महत्व के प्रति जागरूक हैं। इसी लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें ग्राम ऋण और पैदावार की हाट-व्यवस्था को सहकारी ढंग पर संगठित करने की योजना बनाई गई है। दूसरी योजना में केन्द्रीय सरकार कृषि योजनाओं पर ३८ करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसमें हाट-व्यवस्था के लिए लगभग ६ करोड़ रुपए रखे गए हैं। पहली योजना में ७५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्यों की योजनाओं में भी हाट-व्यवस्था के लिए उचित राशि रखी गई है।

ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके अनुसार प्रत्येक महत्वपूर्ण मंडी में कम से कम एक सहकारी बिक्री समिति खोली जाएगी। कुल १,८०० ऐसी समितियाँ संगठित की जाएँगी। अखिल भारतीय और राज्य भंडार निगमों के अन्तर्गत ३५० गोदाम खोले जाएँगे और १,००० से भी अधिक नियंत्रित मंडियाँ स्थापित की जाएँगी।

प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए डा० देशमुख ने कहा कि नियन्त्रित मंडियों, गोदामों और सहकारी बिक्री समितियों को ठीक तरह चलाने के लिए जब तक हमारे पास प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे तब तक हमारे ये कार्यक्रम कोरे स्वप्न ही रह जाएँगे। यह प्रसन्नता की बात है कि इस बारे में प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान दिया गया है।

बढ़िया रेशम का उत्पादन

बढ़िया किस्म का रेशम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई राज्यों को वित्तीय सहायता दी है।

आन्ध्र में हिन्दूपुर में रेशम के कीड़ों के अण्डों का फार्म, शहतूत की कलमों की एक नर्सरी, और रेशम के गोले

बनाने का एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। गोले बनाने का केन्द्र पालमनेर में खोला जाएगा। पालमनेर के मौजूदा रेशम के फार्म का भी विस्तार किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को १,११,८५० रुपए स्वीकार किए हैं।

असम में शिलांग और सेंचोआ में रेशम के कीड़े पालने के दो आधुनिक केन्द्र खोले जाएँगे। आजकल शिलांग का पालन-केन्द्र छोटा है और वहाँ अनुकूल आर्द्रता और तापमान रखने का कोई साधन नहीं है। शिलांग स्थित फार्म में पैदा किए गए विदेशी किस्म के रेशम के कोवे काफी सन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं। एक आधुनिक पालन केन्द्र बन जाने से उनकी किस्म और भी सुधारी जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं का खर्च चलाने के लिए असम को ३५,४३२ रुपए का एक अनुदान स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त असम के चार प्राइमरी स्कूलों में रेशम के कीड़े पालना सिखाने के लिए २४,८६० रुपए की और स्वीकृति भी दी गई है। सुआलकुची में सुखाने का एक कमरा बनाने और चौकी और टसर का रेशम बनाने की योजनाएँ जारी रखने के लिए भी १९,७०० रुपए से अधिक के तीन अनुदान दिए गए हैं। कच्चे रेशम की जाँच करने का साज़-सामान खरीदने के लिए राज्य को २०,२५० रुपए और दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने के चार प्रदर्शन फार्म बनाए जाएँगे। उनके लिए ४७,९६० रुपए की व्यवस्था की गई है। मद्रास के होसुर स्थित होपसिल्क फार्म में शहतूत की पत्तियों को सुरक्षित रखने के तरीके में सुधार के लिए ४,००० रुपए दिए जाएँगे। यह फार्म देश में सब से बड़ा है और यहाँ प्रतिवर्ष ३ लाख पौंड शहतूत की पत्तियाँ पैदा होती हैं।

हिमाचल प्रदेश को ७,४२५ रुपए की सहायता दी गई है। रेशम के कोवे में से रेशम निकालने का प्रशिक्षण देने के लिए पश्चिम बंगाल के प्राविधिज्ञों को मैसूर भेजने और प्राविधिक कर्मचारियों के विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए दो अनुदान दिए गए हैं। मध्य भारत को भी शहतूत के पेड़ लगाने, रेशम के कीड़े पालने और रेशम के गोले बनाने के बारे में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ बुलाने के लिए सहायता दी गई है।

२० लाख एकड़ भूमि में जापानी तरीके से धान की खेती

केन्द्रीय कृषि मंत्री डा० पंजाबराव देशमुख ने हाल में राज्य सभा में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि १९५५-५६ में २०,०६,००० एकड़ भूमि में जापानी तरीके से धान की खेती की गई थी। जापानी तरीके को अपनाने से चावल की पैदावार में १९५३-५४ में १,३१,३९५ टन, १९५४-५५ में ४,९६,४०० टन और १९५५-५६ में ८,२८,१९० टन की वृद्धि हुई। मंत्री महोदय ने बताया कि पहले वर्ष, अर्थात् १९५३-५४ में चार लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि में जापानी तरीके से धान की खेती की गई। १९५५-५६ में यह रकबा बढ़कर २०,०६,००० एकड़ हो गया। दूसरी योजना की अवधि में कम से कम ४०,००,००० एकड़ भूमि में जापानी तरीके से खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जापानी तरीका अपनाने के पहले वर्ष में इस तरीके से प्रति एकड़ उपज २५.८२ मन हुई थी। इसी वर्ष स्थानीय तरीकों से प्रति एकड़ उपज १६.९२ मन हुई थी। १९५५-५६ में ये संख्याएँ क्रमशः २४.८९ मन और १३.३३ मन थीं।

किसानों को देश के अन्य भाग दिखाने की योजना

खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय एक योजना शुरू कर रहा है जिसके अन्तर्गत देश के एक भाग के किसानों को दूसरे भागों को देखने के लिए भेजा जाएगा। यह योजना इसलिए शुरू की जा रही है ताकि देश के एक भाग में रहनेवाले किसान दूसरे भागों में रहनेवाले किसानों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और खेती की समान समस्याओं और इसके विभिन्न तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इन यात्राओं में देश के विभिन्न भागों में रहनेवाले किसानों में मैत्री और सद्भावना भी बढ़ेगी। अतिथि किसानों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान-परिवारों के साथ ठहराया जाएगा। ये लोग उस परिवार के साथ रोज़ाना के खेती के काम में हाथ बटाएँगे। किसानों को अपनी यात्रा का खर्च स्वयं देना पड़ेगा। जो किसान इस योजना से लाभ उठाना चाहेंगे, उनका चुनाव खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय, राज्य सरकारों की सलाह से करेगा।

पीने के पानी की उचित व्यवस्था

"अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष २० लाख व्यक्ति हैजे, मियादी बुखार और संग्रहणी आदि पेट की बीमारियों से मरते हैं और इनका शिकार होनेवालों की संख्या तो लगभग ५ करोड़ होगी। पीने के साफ पानी और मलमूत्र आदि के

फेंकने की उचित व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है।" ये शब्द उप-स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती चन्द्रशेखर ने नई दिल्ली में जनस्वास्थ्य इंजीनियरों के दूसरे सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहे। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम के उन्नत देशों ने सफाई के उचित उपायों द्वारा हैज़े आदि का तो नाम निशान ही मिटा दिया है।

उपस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगस्त-सितम्बर १९५४ में पीने के पानी और सफ़ाई का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया था उसका उद्देश्य देश में कुछ सालों में इन चीज़ों की कमी पूरी करना है। शहरों की योजनाओं के लिए राज्यों को कर्ज़ दिया जाता है और गाँवों की योजनाओं के लिए आधी लागत के बराबर अनुदान। गाँवों में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि श्रमदान आदि के रूप में आधी लागत गाँव वाले दें। गाँवों में पानी और सफ़ाई के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया। इसमें से पहली योजना की अवधि में २ करोड़ ८० लाख ६ हज़ार ७५० रुपया यानी ४७ प्रतिशत ही खर्च हुआ।

श्रीमती चंद्रशेखर ने आशानुकूल प्रगति न होन के दो मुख्य कारण बताए। एक, इस काम के जानकार कर्मचारियों की कमी और दूसरा, आवश्यक यंत्रों और सामान का न मिलना। अमेरिका से करार सं० २५ के अन्तर्गत ४६ लाख डालर का इस तरह का जो सामान मिलना था वह राज्यों को बाँट दिया गया है। दूसरी योजना में, गाँवों में पीने के पानी और सफाई के साधनों के लिए, राज्य सरकारों ने २८ करोड़ रुपए खर्च करने की योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं का आधा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

★

तीन बुनियादी बातें—[पृष्ठ २० का शेषांश]

उसे एक साल तक खेती, पशु-पालन तथा सहकारिता की बुनियादी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इसके अलावा ५ मास तक विस्तार के तरीके सिखाने चाहिएँ।

गाँववालों के दृष्टिकोण को बदलने के साथ-साथ एक और बात भी ऐसी ही ज़रूरी है। हमारा दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। हमें अपने आप को कल्याणकारी राज्य की कल्पना के अनुरूप बनाना होगा। हमें अपने कार्य को भी नई भावना से करना होगा। हमें यह विचार छोड़ देना चाहिए कि हमारा काम गाँववालों पर ज़बरदस्ती अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को लादना है। यह बात तो गाँववाले बताएँगे कि वे क्या चाहते हैं, और हम उनकी क्या सहायता करें। हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। हम उनके प्रयत्नों को संगठित कर सकते हैं। हम ऐसी आर्थिक सहायता दे सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। परन्तु विकास-योजनाओं के चुनाव गाँववालों को ही करने चाहिएँ और ग्राम-कार्यकर्ता तथा विस्तार-कर्मचारी उनके पथ-प्रदर्शक और मित्र के रूप में काम करें। ज्यों-ज्यों काम आगे बढ़ता जाएगा हमें मालूम होगा कि जितना कुछ ग्रामीणों को हमें सिखाना है उससे कहीं अधिक हमें उनसे सीखना है। अतः इस सम्बन्ध में दो-तरफा विचार बदलने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के विचार बदलने के साथ-साथ हमारे विचार भी बदलन चाहिएँ। हमारा भारत 'व्यवस्था और शान्ति' के राज्य से बदल कर एक 'कल्याणकारी राज्य' बन रहा है। यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है और उन लोगों के विचारों में भी वैसा ही क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए जो प्रशासन का काम करते हैं। ये दोनों काम साथ-साथ होने चाहिएं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का होना कठिन है।

राष्ट्रीय विस्तार संगठन तथा सामुदायिक विकास-योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य यही हैं। मैंने तीन उद्देश्य बताए—अधिक रोज़गार तथा अधिक उत्पादन, अधिक सहकारिता और सामुदायिक लाभ के कामों के लिए अधिक सामूहिक यत्न। संक्षेप में कह देने के कारण ये कुछ प्रभावकारी नहीं दिखाई देते, परन्तु इन में से प्रत्येक विषय के कई-कई लम्बे-चौड़े कार्यक्रम हैं जिनके लिए सबको काम करना होगा, जिन में गाँववालों की दिलचस्पी बढ़ानी होगी। सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन की सफलता गाँववालों की दिलचस्पी और उत्साह बढ़ाने और उसे ऊँचे स्तर पर कायम रखन में है। ग्राम जीवन की निश्चलता दूर होनी चाहिए। हर जगह नया जीवन और नया उत्साह होना चाहिए और रहन-सहन के नए तरीकों और अच्छी स्थितियों के लिए काम करने का पक्का इरादा होना चाहिए।

ग्रामसेवक

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'ग्रामसेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण, ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १।) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में प्रेरणादायक कहानियाँ, मीठी-मीठी कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति ।=)

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के भिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक मूल्य २॥) : एक प्रति ।)

प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के हिन्दी केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं। वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ॥)

पब्लिकेशन्स डिवीजन

ओल्ड सेक्रेटेरियट दिल्ली-८

Regtd. No. D-28

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माता सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ९ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आबादी के लिहाज़ से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक इकाइयाँ बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्गमील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए। उसी तरह, जिस तरह के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक-पृथक और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १९५२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ।

इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २॥ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश-स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

प्रचार के उद्देश्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम रक्खा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

ग्रन्थ का मूल्य ५) रु० : डाक व्यय अलग।

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फ़र्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया,
ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Printed at the Mufid-i-'Am Press, Delhi, and Published on behalf of Community Projects Administration by the Publications Division Delhi-8.